मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2017-18

ना हिल्स, भोपाल (मध्यप्रदेश)
का अनमोल
व्यर्थ ना

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग

okf"kd i'kkldh; ifronu

o"k 2017&18

vuØef.kdk

Ø-	fooj.k	i"B Ø-
	Hkkx & ,d	
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	विभागीय संरचना–स्थापना संबंधी विवरण	1
1.3	परिक्षेत्र कार्यालय	1
1.4	जल परीक्षण प्रयोगशालायें	2
1.5	विभागीय उद्देश्य एवं कार्य	3
	Hkkx & nks	
2.1	बजट विहंगावलोकन	4
2.2	जेंडर रिस्पोंसिव बजट का क्रियान्वयन	5
	Hkkx & rhu	
3.1	राज्य एवं केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं	6
3.2	आदिवासी उपयोजना	11
3.3	अनुसूचित जाति उपयोजना	12
3.4	ग्रामीण नलजल/स्थलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन	13
3.5	पेयजल व्यवस्था की निगरानी	17
3.6	गुणवत्ता प्रभावित पेयजल स्त्रोतों वाली बसाहटों की योजनाओं का विवरण	17
3.7	भू जल संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम	19
3.8	विभागीय नलकूप खनन मशीनों का विवरण	22
3.9	प्रशिक्षण कार्यक्रम	24
3.10	विभागीय कम्प्यूटरीकरण की प्रगति	25
3.11	नगरीय पेयजल कार्यक्रम	28
	Hkkx & pkj	
4.1	सामान्य प्रशासनिक विषय	29
4.2	सूचना का अधिकार	30
4.3	वर्ष 2017 में विधान सभा प्रश्नों आदि से संबंधित कार्यों का विवरण	31
	Hkkx & ikp	
5.1	प्रदेश में 24x7 दिवस वाली ग्रामीण नलजल योजनाओं की सफलता की कहानी	32
5.2	मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	34
5.3	मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना का क्रियान्वयन	35
5.4	राज्य जल सहायता संगठन	37
5.5	जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम	42
	Hkkx & N%	
6.1	विभागीय प्रकाशन से संबंधित जानकारी	45
	Hkkx & lkr	
7.1	सारांश	45
8	मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित	47

e/; izns'k 'kklu

yksd LokLF; ;kaf=dh foHkkx

okf"kZd iz'kkldh; izfronu

o"kZ 2017&18

ea=h

ekuuh; lqJh dqlqe flag egnsys

jkT;ea=h

ekuuh; Jh tkyefla g iVsy

ea=ky;

	izeq[k lfpo	▸	Jh izeksn vxzoky ¼vkbZ-,-,l-½
	उप सचिव (स्थापना)	▸	श्री नियाज अहमद खान (रा.प्र.से.)
	उप सचिव (तकनीकी)	▸	श्री राजेश शाक्यवार
	अवर सचिव (स्थापना)	▸	श्री एस. के. सेन्द्रे
	अवर सचिव (तकनीकी)	▸	श्री एन. के. वैद्य

foHkkxk/;{k

	izeq[k vfHk;ark	▸	Jh ds- ds- lksuxfj;k
	प्रमुख अभियंता (सलाहकार)	▸	श्री सी. एस. संकुले
	संचालक (जल सहायता संगठन)	▸	श्री सी. एस. संकुले
	मुख्य अभियंता (भोपाल परिक्षेत्र)	▸	श्री सी. एस. संकुले
	मुख्य अभियंता (इंदौर परिक्षेत्र)	▸	श्री के. के. सोनगरिया
	मुख्य अभियंता (ग्वालियर परिक्षेत्र)	▸	श्री एस. के. अंधवान (प्रभारी)
	मुख्य अभियंता (जबलपुर परिक्षेत्र)	▸	श्री एच. एस. गोंड
	मुख्य अभियंता (वि./यां.) भोपाल	▸	श्री अशोक बघेल (प्रभारी)

e/; izns'k ty fuxe e;kZfnr

	izca/k lapkyd	▸	Jh izeksn vxzoky vkbZ-,-,l-
	मुख्य महाप्रबंधक	▸	श्री एन. पी. मालवीय

1- Hkkx & ,d

1-1 iLrkouk %&

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुसार, शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण बसाहटों, शालाओं, आंगनवाडियों एवं गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन शासन की निर्धारित नीति/मानदण्डों के आधार पर किया जाता है।

1-2 foHkkxh; lajpuk & LFkkiuk lEcU/kh fooj.k %&

- **'kklu Lrjh; %&**

  लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय में प्रमुख सचिव पदस्थ हैं। उनके अधीन तकनीकी शाखा में वर्तमान में उप सचिव तथा अवर सचिव एवं स्थापना शाखा में एक उप सचिव तथा अवर सचिव कार्यरत हैं।

- **ieq[k vfHk;Urk dk;kZy; %&**

  विभागाध्यक्ष के रूप में मुख्यालय में प्रमुख अभियंता पदस्थ हैं। विभाग में प्रमुख अभियन्ता तथा जल सहायता संगठन प्रकोष्ठ के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता स्तर का संचालक का एक–एक पद स्वीकृत है। प्रदेश में 5 परिक्षेत्र (चार सिविल एवं एक विद्युत/यांत्रिकी) कार्यालय हैं, जो मुख्य अभियन्ताओं के अधीन हैं। विभाग में स्वीकृत विभिन्न पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

- मुख्य अभियन्ता (सिविल) – 04 पद
- संचालक (जल सहायता संगठन) – 01 पद
- मुख्य अभियन्ता (वि./यां.) – 01 पद
- अधीक्षण यन्त्री (सिविल) – 24 पद
- अधीक्षण यन्त्री (वि./यां.) – 05 पद
- कार्यपालन यन्त्री (सिविल) – 74 पद
- कार्यपालन यन्त्री (वि./यां.) – 11 पद
- सहायक यन्त्री (सिविल) – 241 पद
- सहायक यन्त्री (वि./यां.) – 62 पद
- उपयन्त्री (सिविल) – 974 पद
- उपयन्त्री (वि./यां.) – 263 पद

1-3 ifj{k= dk;kZy; %&

विभाग की मैदानी स्थापना पांच परिक्षेत्रों में विभाजित है जिनमें चार सिविल कार्यों एवं एक वि./यां. कार्यों से संबंधित है। सिविल कार्य हेतु प्रत्येक परिक्षेत्र मुख्य अभियंता (सिविल) के अधीन है, परिक्षेत्र मुख्यालय

क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर में स्थित हैं। सिविल कार्यों हेतु परिक्षेत्र भोपाल के अंतर्गत भोपाल एवं नर्मदापुरम राजस्व संभाग, इंदौर परिक्षेत्र के अंतर्गत इंदौर एवं उज्जैन राजस्व संभाग, ग्वालियर परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्वालियर, चंबल तथा सागर राजस्व संभाग एवं जबलपुर परिक्षेत्र के अतंर्गत जबलपुर, रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग हैं। विभाग में एक मुख्य अभियन्ता (वि./यां.) हैं जिनका मुख्यालय भोपाल है एवं कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण प्रदेश है। विभागीय ड्रिलिंग मशीनों द्वारा नलकूप खनन के कार्य इनके माध्यम से किये जाते हैं।

- eMy dk;kZy; %&

प्रदेश में संभाग स्तर पर 10 संभाग मुख्यालय सहित 13 स्थानों क्रमशः भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, चम्बल, पन्ना, खरगोन एवं परियोजना मण्डल छिन्दवाड़ा में मंडल कार्यालय स्थापित हैं जिनके माध्यम से विभिन्न योजनाओं के कार्य किये जाते हैं। इन मण्डल कार्यालयों द्वारा अधीनस्थ खंडों एवं उपखंडों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है। प्रत्येक मंडल कार्यालय अधीक्षण यंत्री के अधीन हैं।

- [kM dk;kZy; %&

मध्यप्रदेश के सभी 51 जिलों में 55 सिविल खंड एवं 7 सम्भागीय मुख्यालयों क्रमशः भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं रीवा पर 7 वि./यां. खण्ड स्थापित हैं। मंडलेश्वर में एक वि./यां. खण्ड नगर निगम इंदौर के अधीन कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 5 परियोजना खण्ड, 6 संधारण खण्ड, 1 गुणवता नियंत्रण इकाई खण्ड भोपाल कार्यालय स्थापित हैं।

प्रदेश में कुल 204 उपखण्ड सिविल संकाय के एवं 46 जिलों में 47 वि./यां. उपखंड कार्यालय स्थापित हैं, प्रत्येक उपखंड कार्यालय सहायक यंत्री के अधीन हैं। 5 जिलों क्रमशः बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, अलीराजपुर एवं आगर में वि./यां. उपखण्ड स्थापित नहीं हैं।

1-4 ty ijh{k.k iz;ksx'kkyk;sa %&

jkT; Lrj %& प्रदेश में राज्य स्तर पर एक राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित है, जो मुख्य रसायनज्ञ/बायोलॉजिस्ट के अधीन, गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खण्ड भोपाल के अंतर्गत कार्यरत् है।

ftyk Lrj %& प्रत्येक जिले में एक – एक, इस प्रकार कुल 51 जिला स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित है, प्रयोगशालायें कार्यपालन यंत्री के नियंत्रण में कार्य करती है।

mi[k.M Lrj %& प्रत्येक जिले में उपखण्ड स्तर पर एक–एक उपखण्ड स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित है, उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालायें सहायक यंत्री के नियंत्रण में कार्य करती है।

1-5 foHkkxh; mís'; ,o dk;l%&

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. ग्रामीण बसाहटों में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल प्रदाय हेतु सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन।
2. ग्रामीण हैंडपंप योजनाओं का संधारण।
3. ग्रामों में राज्य शासन की नीति अनुसार नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन।
4. पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रदाय हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन।
5. शासकीय भवन युक्त ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था।
6. जल प्रदाय योजनाओं के स्त्रोतों के स्थायित्व हेतु भू–जल पुनर्भरण एवं संवर्धन योजनाओं तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजनाओं का क्रियान्वयन।
7. परम्परागत जलस्त्रोतों का जीर्णोद्धार कर पेयजल आपूर्ति हेतु उपयोगी बनाना।
8. पेयजल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता का अनुश्रवण व निगरानी।
9. सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन।
10. नगरीय निकायों द्वारा चाहे जाने पर, नगरीय क्षेत्रों में जल प्रदाय एवं मल जल निकासी योजनाओं के सर्वेक्षण, अन्वेषण, योजना प्रतिवेदन तैयार करने व निक्षेप कार्य के रूप में योजनाओं का क्रियान्वयन।

iin'k d xkeh.k {k=k e 'k) ,o ljf{kr i;ty ink; gr
;ktukvk dk fØ;kUo;u

2- Hkkx & nks

2-1 ctV fogaxkoyksdu %&

foxr rhu o"kksZ dh fLFkfr fuEukuqlkj gS%&

- jkT; vk;kstuk ds vUrxZr वर्ष 2015–16 के लिये विभाग की योजना सीमा रुपये 159496.82 लाख निर्धारित की गई थी। विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिये वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद के अन्तर्गत कुल रुपये 116014.16 लाख की राशि उपलब्ध करायी गयी थी जिसके विरुद्ध कुल रुपये 78566.90 लाख का व्यय किया गया।
- jk"Vªh; xzkeh.k is;ty dk;ZØe ds vUrxZr वर्ष 2015–16 में भारत सरकार द्वारा पेयजल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु रुपये 33655.99 लाख का आवंटन उपलब्ध कराया गया था जिसमें विगत वर्ष की शेष राशि भी सम्मिलित है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त राशि के विरुद्ध कुल रुपये 36312.48 लाख का व्यय किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम तथा सहायक गतिविधियों के अन्तर्गत कुल राशि रुपये 3193.10 लाख प्राप्त हुई थी (विगत वर्ष की शेष राशि सहित), जिसके विरुद्ध कुल राशि रुपये 3005.28 लाख व्यय किये गये।
- jkT; vk;kstuk ds vUrxZr वर्ष 2016–17 के लिये राज्य योजना आयोग द्वारा विभाग की योजना सीमा रुपये 219069.08 लाख स्वीकृत की गई है, इसमें मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित हेतु रुपये 105100.01 लाख की राशि सम्मिलित है। राज्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित योजना सीमा के अन्तर्गत योजना/कार्यक्रमों के वित्तीय ढॉचे के अनुसार केन्द्रांश से प्राप्त होने वाली राशियों को सम्मिलित किया गया है। इसमें रुपये 56319.53 लाख का प्रावधान केन्द्रांश के लिये है तथा रू. 54469.53 लाख राज्यांश के लिये कुल रू. 110789.05 लाख की राशि प्रावधानित की गई थी। विभाग द्वारा सभी मदों में कुल रुपये 82142.61 लाख व्यय किये गये हैं।
- jk"Vªh; xzkeh.k is;ty dk;ZØe ds vUrxZr वर्ष 2016–17 के लिये केन्द्र सरकार द्वारा आवंटन में कमी की गई है जिसके कारण पेयजल कार्यक्रमों के वित्तीय ढॉचे के अनुरूप केन्द्रांश में कटौती के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा भी समतुल्य राशि उपलब्ध कराई गई है। भारत सरकार द्वारा पेयजल कार्यक्रमों हेतु अभी तक रुपये 25839.37 लाख उपलब्ध कराये गये हैं जिसमें विगत वर्ष की शेष राशि भी सम्मिलित है। इसके विरुद्ध कुल रुपये 38552.09 लाख व्यय किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अन्तर्गत रुपये 4179.76 लाख की राशि प्राप्त हुई (विगत वर्ष की शेष राशि सहित), जिसके विरुद्ध रुपये 2925.05 लाख का व्यय विभिन्न गतिविधियों में किया गया है।
- jkT; vk;kstuk ds vUrxZr वर्ष 2017–18 के लिये राज्य योजना आयोग द्वारा विभाग की योजना सीमा रुपये 370931.01 लाख निर्धारित की गई है, इसमें मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित हेतु रुपये 165887.00 लाख की राशि सम्मिलित है। राज्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित योजना सीमा के अन्तर्गत योजना/कार्यक्रमों के वित्तीय ढॉचे के अनुसार केन्द्रांश से प्राप्त होने वाली राशियों को सम्मिलित किया गया है। इसमें रुपये 33155.01 लाख का प्रावधान केन्द्रांश एवं राज्यांश के लिये है। विभाग द्वारा सभी मदों में कुल रुपये 85174.34 लाख व्यय किये गये हैं।
- jk"Vªh; xzkeh.k is;ty dk;ZØe ds vUrxZr वर्ष 2017–18 के लिये केन्द्र सरकार द्वारा आवंटन में कमी की गई है जिसके कारण पेयजल कार्यक्रमों के वित्तीय ढॉचे के अनुरूप केन्द्रांश में कटौती के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा भी समतुल्य राशि उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों हेतु प्रावधानित राशि रू. 33155.01 लाख के विरूध्द केन्द्र सरकार के द्वारा अभी

तक रुपये 17143.13 लाख उपलब्ध कराये गये हैं, इसमें विगत वर्ष की शेष राशि भी सम्मिलित है। इस प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत (राज्यांश+केन्द्रांश) कुल रुपये 33155.01 लाख का वित्तीय प्रावधान स्वीकृत है, इसके विरुद्ध कुल रुपये 18579.57 लाख व्यय किया गया है।

2-2 ts.Mj fjLikafLo ctV dk fØ;kUo;u%&

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में, जेण्डर समानता, समीक्षा एवं निगरानी हेतु विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में महिलाओं की सशक्त भागीदारी एवं पेयजल की योजनाओं से महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना ही पेयजल योजनाओं का उद्देश्य है, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख अभियन्ता कार्यालय स्तर पर þts.Mj ctfVax lsyß का गठन किया है। गठित सेल द्वारा विभाग के कार्यों एवं दृष्टिकोण के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में महिलाओं की सशक्त भागीदारी एवं पेयजल की योजनाओं से महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो इन्हीं मूल उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

ckyk?kkV ftys dk nqxZe uDlyh izHkkfor xzkeh.k {ks=ksa esa
foHkkx }kjk is; ty O;oLFkk

3- Hkkx & rhu

3-1 jkT; ,o dUn {k=h; ;k tuk, %&

3-1-1 xkeh.k i; t y dk;Øe %&

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मार्ग दर्शिका के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक भारत सरकार से प्राप्त राशि के समतुल्य राशि (50:50) राज्य शासन द्वारा भी उपलब्ध कराई जाती थी, वर्ष 2016–17 से सभी कार्यक्रमों हेतु वित्तीय ढॉचे का अनुपात 60:40 (केन्द्रांश एवं राज्यांश) निर्धारित किया गया था। वर्ष 2017–18 में पुनः पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को पुनर्गठित कर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय ढॉचे का अनुपात 50:50 (केन्द्रांश एवं राज्यांश) निर्धारित किया गया है।

राज्य शासन द्वारा बसाहटों में पेयजल प्रदाय का स्तर हैण्डपम्प योजनाओं से जलप्रदाय हेतु 55 ली. प्रति व्यक्ति प्रति दिन एवं नलजल योजनाओं के माध्यम से 70 ली. प्रति व्यक्ति प्रति दिन निर्धारित किया गया है।

प्रदेश की अधिकांश ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं भू–गर्भीय जल स्त्रोतों (मुख्यतः नलकूपों) पर आधारित हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा अधिकाधिक मात्रा में नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन कर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि नलजल योजनाओं से पेयजल प्रदाय के वर्तमान स्तर को बढ़ाया जा सके।

3-1-2 clkgVka e t y ink; 0;oLFkk d ekun.M %&

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका में लाभान्वित समुदाय को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह स्वयं के लिये जलप्रदाय का स्तर स्वयं निर्धारित कर सके, इस प्रावधान के अनुसार बसाहट को पूर्णतः आच्छादित श्रेणी में वर्गीकृत करने हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:–

(क) ऐसी बसाहटें जिनमें प्रत्येक परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ख) प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 500 मीटर की परिधि में सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 30 मीटर की ऊँचाई या निचाई पर पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया गया हो।

(घ) ऐसी बसाहटें जिनमें नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय किया जाना है, न्यूनतम मात्रा 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्ध करा दिया गया हो।

3-1-3 clkgVk esa dk;l dh ikFkfedrk %&

- ikFkfedrk, fuEukuqlkj fu/kkfjr dh xbZ g %&

1. पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था।
2. ऐसी बसाहटें जिनमें जनसंख्या के मान से निर्धारित मापदण्डानुसार सुरक्षित पेयजल व्यवस्था नहीं है। (अनु.जाति / अनु.जनजाति बाहुल्य बसाहटों को प्राथमिकता)
3. शासकीय भवनयुक्त ग्रामीण शालाओं / आँगनवाड़ियों में पेयजल की व्यवस्था।
4. आदिम जाति आश्रम / छात्रावासों में पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

3-1-4 clkgVk esa i; ty 0;oLFkk dh fLFkfr %&

प्रदेश में विगत वर्षों में किये गये कार्यों के फलस्वरूप 31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में कुल 128061 बसाहटों में से 106754 बसाहटें 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्ड से पूर्णतः आच्छादित की श्रेणी में हैं एवं 21307 बसाहटें आंशिक पूर्ण श्रेणी में हैं, तथा इन बसाहटों में 40 लीटर से अधिक एवं 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से कम पेयजल उपलब्ध हैं, उपरोक्त आंशिक पूर्ण बसाहटों में जल गुणवत्ता से प्रभावित 187 बसाहटें भी सम्मिलित हैं। शासन की वर्तमान प्राथमिकता अनुसार पेयजल हेतु हैण्डपंपों पर निर्भरता कम करते हुए ग्रामीण आबादी को अधिक से अधिक घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाना है। अतः बसाहटों के आच्छादन हेतु नलकूप आधारित योजनाओं पर निर्भरता कम करते हुये उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन में निरंतर वृद्धि की जा रही है।

in'k d xkek ,o clkgVk e g.MiEi vk/kkfjr ;kstukvk l Rofjr i; ty 0;oLFkk

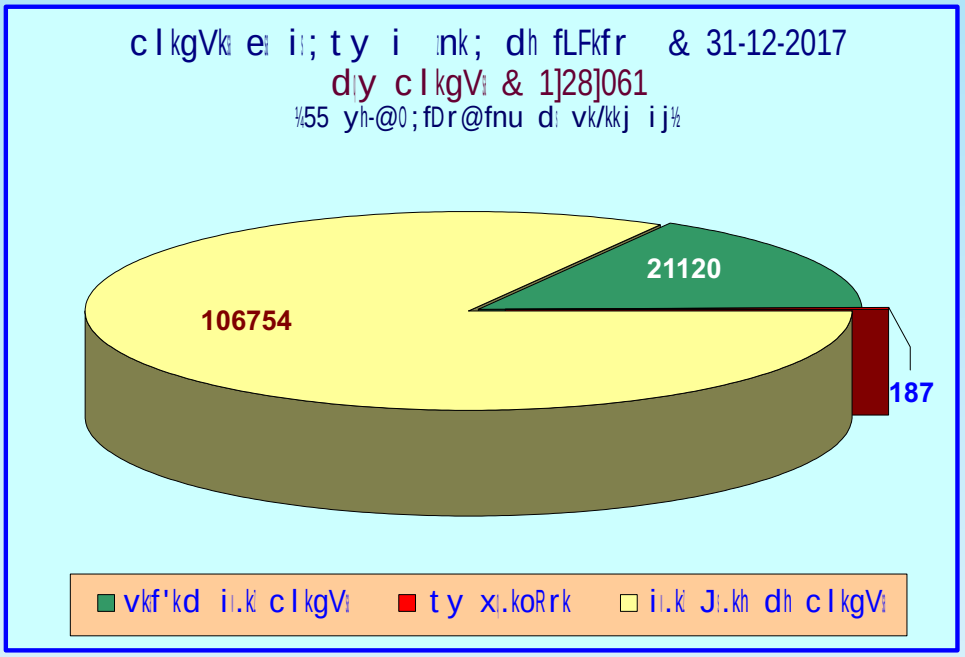

- g.Mi i ;kstukvksa ls vkPNknu %&

  वर्ष 2017–18 में कुल 10075 आंशिक पूर्ण बसाहटों को पूर्णतः आच्छादित करने के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2017 तक कुल 7151 बसाहटों को पूर्णतः आच्छादित किया गया है। शेष बसाहटों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य किये जा रहे हैं।

- uy ty ;kstukvksa ls clkgVksa dk vkPNknu %&

  वर्ष 2017–18 में नलजल योजनाओं के माध्यम से माह दिसम्बर, 2017 तक कुल 219 बसाहटों को नलजल योजनाओं के माध्यम से आच्छादित किया गया है। शेष बसाहटों की योजनाओं में कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में माह दिसम्बर तक पूर्ण की गई बसाहटों का विवरण निम्नानुसार ग्राफ में दर्शाया गया हैं :–

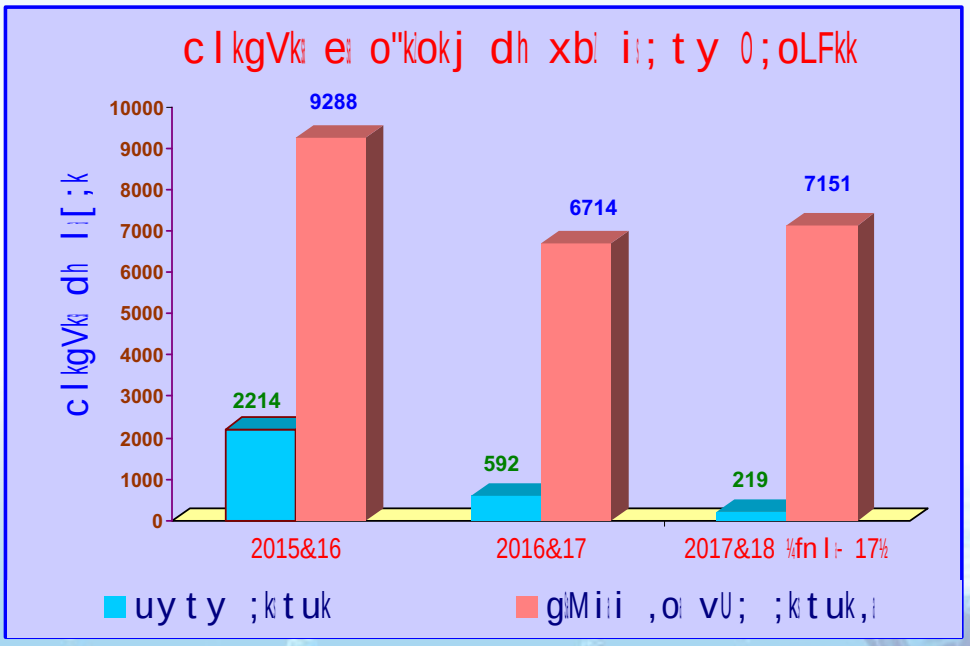

3-1-5 x|.koRrk iHkkfor clkgVk e dk;l %&

प्रदेश के कुछ जिलों के पेयजल स्रोतों में रसायनिक तत्वों की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से अधिक पाई गई है। इनमें फ्लोराईड व लौह तत्व हैं। कुछ जिलों के पेयजल स्रोतों में लवणों की अधिकता के कारण खारे पानी की समस्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत इन पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्य किये जा रहे हैं।

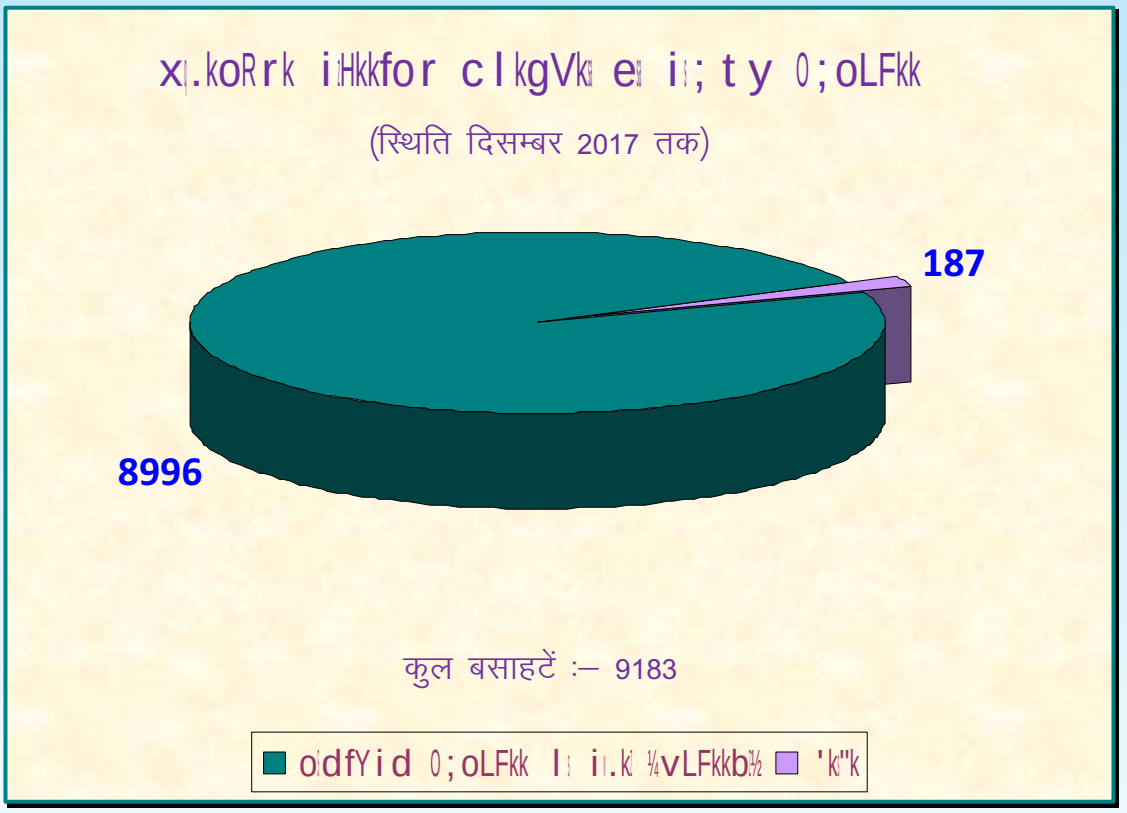

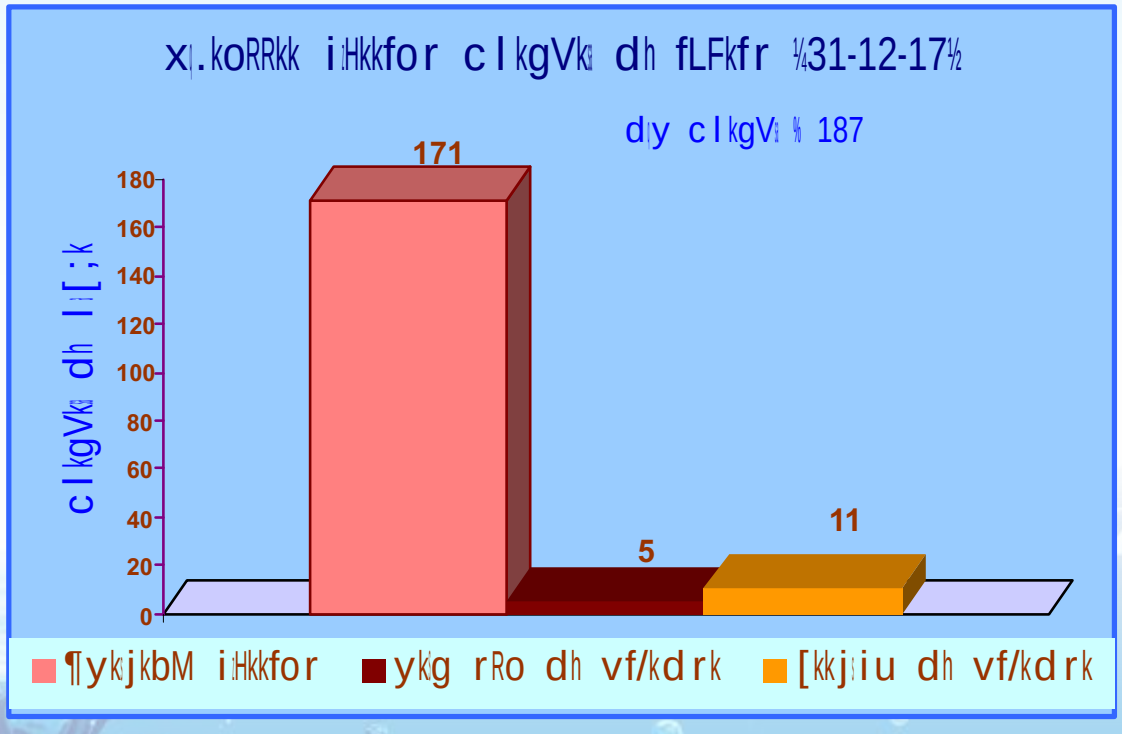

प्रदेश की कुल गुणवत्ता प्रभावित चिन्हित 9183 बसाहटों में से 8996 बसाहटों में सुरक्षित वैकल्पिक स्त्रोतों पर आधारित योजनाओं के माध्यम से, शुद्ध पेयजल माह दिसम्बर, 2017 तक, उपलब्ध कराया जा चुका है। दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में शेष 190 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में से कुल 03 बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है एवं शेष 187 बसाहटों में कार्य प्रगति पर हैं, इनमें से 171 फ्लोराइड से प्रभावित बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3-1-6 xzkeh.k 'kkykvksa ,oa vkaxuokfM+;ksa esa ty iznk; %&

ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रदेश की सभी शासकीय भवन युक्त ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है, तथापि ऐसी शालाओं एवं ऑगनवाड़ियों जिनमें स्रोत असफल अथवा गुणवत्ता प्रभावित हो गए हैं, में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था करने का कार्य किये जा रहे थे जिसमें योजना की लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा केन्दांश एवं समतुल्य राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जाती रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा उक्त कार्यों के लिये धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, फलस्वरूप ग्रामीण शालाओं एवं ऑगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था के कार्य राज्यांश मद से किये जा रहे हैं।

वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक कुल 495 पेयजल विहीन चिन्हित ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है। इसी प्रकार माह दिसम्बर, 2017 तक कुल 363 पेयजल विहीन शासकीय भवनयुक्त ऑगनवाड़ियों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है। शेष कार्य निरन्तरित हैं।

3-1-7 Hkw ty lao/kZu ,oa lzksr LFkkf;Ro dk;ksZa dh izxfr %&

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक कुल 246 विभिन्न प्रकार की भू जल संवर्धन संरचनाओं का निर्माण पेयजल स्रोतों के स्थायित्व हेतु किया जा चुका है।

3-1-8 gSaMiai&IysVQkeZ dk iqufuekZ.k %&

वर्ष 2017–18 के दौरान पुराने एवं क्षतिग्रस्त हैंडपंप प्लेटफार्म के स्थान पर 5000 नये प्लेटफार्म निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2017 तक कुल 2013 प्लेटफार्म निर्मित किए गए हैं।

3-1-9 lzksr lw[kus ls cUn ;kstukvksa esa lzksr fuekZ.k %&

ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन/संधारण का दायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का है, तथापि नलजल योजनाओं के स्रोत सूख जाने से बन्द पेयजल योजनाओं में विभाग द्वारा स्रोत निर्मित कर योजना पुनः चालू की जाती है। इसी के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक कुल 579 बन्द योजनाओं में नये स्रोत निर्मित कर योजनाएं पुनः चालू की गयीं।

3-1-10 ekuuh; eq[;ea=h th dh ?kks"k.kkvksa dk fØ;kUo;u

प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणाओं की पूर्ति विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2017 तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई कुल 210 घोषणाओं के विरुद्ध कुल 126 घोषणाओं को पूर्ण किया जा चुका है, शेष 54 घोषणाओं के कार्य पूर्ण सतत् एवं 30 घोषणाएं लम्बित हैं जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

3-2 vkfnoklh mi;kstuk %&

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की बसाहटों में विभाग द्वारा वर्तमान में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं। प्रदेश में आदिवासी बहुल बसाहटों में वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर 17 तक कुल 2889 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष बसाहटों में कार्य निरंतरित हैं।

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विगत वर्षो में किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

· Hkkfrd miyfC/k

Ø-	dk;Ze	2015&16	2016&17	2017&18 ¼fnl- 17½
1.	हैण्डपंप योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	2860	1900	2800
2	नलजल योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	595	130	86
3	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	218	164	03
4	ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था	760	264	227
5	ग्रामीण ऑगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था	872	195	174

ftyk >kcqvk ds vkfnoklh cgqY; xzkeh.k {ks=ks esa ?kjsyw uy dusD'ku ls 'kq)
tyiznk; O;oLFkk ds vUrxZr 'kr izfr'kr dusD'ku gsrq foHkkxh;
vf/kdkfj;ksa }kjk xzkeh.kksa dks tkx:d fd;k tk jgk gS

ftyk >kcqvk dh vkfnoklh ckgqY; xzkeh.k {ks=ksa esa ?kjsyw
uy dusD'ku ds ek/;e ls 'kq) tyiznk; O;oLFkk

- foxr rhu o"kksZa ds nkSjku vkfnoklh mi;kstuk ds vUrxZr gq;s O;; dk fooj.k fuEukuqlkj gS%&

(रुपये लाख में)

Ø-	fooj.k	2015&16	2016&17	2017&18 ¼fnlEcj] 17½
1	ग्रामीण क्षेत्र	23865.36	25734.99	9019.83
2	नगरीय क्षेत्र	0.00	0.00	200.00
	;ksx	23865-36	25734-99	9219-83

3-3 vuqlwfpr tkfr mi;kstuk%&

अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र की बसाहटों में विभाग द्वारा वर्तमान में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति बहुल बसाहटों में वर्ष 2017–18 में माह दिसंबर, 17 तक कुल 476 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष बसाहटों में कार्य निरंतरित हैं।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विगत वर्षो में किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

- Hkkfrd miyfC/k

Ø-	dk;Øe	2015&16	2016&17	2017&18 ¼fnlcj 17½
1.	हैण्डपंप योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	1476	940	465
2	नलजल योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	265	105	11
3	गुणवत्ता प्रभ ावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	62	25	—
4	ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था	422	148	133
5	ग्रामीण ऑंगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था	485	116	108

- foxr rhu o"kk d nkjku vulfpr tkfr mi;ktuk d vUrxr g;s 0;; dk fooj.k fuEkulkj g%&

(रुपये लाख में)

Ø-	fooj.k	2015&16	2016&17	2017&18 ¼fnlcj 17½
1	ग्रामीण क्षेत्र	20361.27	6481.16	5436.85
2	नगरीय क्षेत्र	0.00	9.00	104.49
	;kx %	20361.27	6490.16	5541.34

3-4 xkeh.k uy ty@LFky ty ink; ;ktukvk dk fØ;kUo;u %&

ग्रामीण बसाहटों में पेयजल के लिए प्रदेश में सामान्यतः हैण्डपंप योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं किन्तु बड़े ग्रामों में अथवा ऐसे ग्रामों में जहां दूर से पानी लाया जाना आवश्यक हो, वहां नल जल प्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। सभी नल जल/स्थल जल प्रदाय योजनाओं का संचालन एवं संधारण सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में, विशेषकर स्रोत सूख जाने की स्थिति में विभाग द्वारा नये स्रोत का निर्माण भी किया जाता है। जिन ग्रामों में नलकूपों में अधिक गहराई पर पानी उपलब्ध हो, वहॉं हैण्डपम्प के स्थान पर पावर पंप स्थापित कर स्थल जल योजनाएं (स्पॉट सोर्स योजना) भी क्रियान्वित की जाती हैं।

राज्य शासन द्वारा नलजल योजनाओं की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये हैं :—

1. नलजल योजना का प्रस्ताव ग्राम पंचायत/तदर्थ स्वस्थ ग्राम समिति/पेयजल उपभोक्ता समिति के माध्यम से ग्राम की सर्वसहमति के आधार पर लेना होगा।
2. नलजल योजना का संचालन एवं संधारण तदर्थ स्वस्थ ग्राम समिति/पेयजल उपभोक्ता समिति के माध्यम से किया जावेगा, इस आशय की लिखित सहमति आवश्यक होगी।
3. नलजल योजना के क्रियान्वयन में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी।
4. नलजल योजना से घरों में निजी कनेक्शन लेने हेतु कम से कम 75 प्रतिशत परिवारों द्वारा लिखित सहमति देनी होगी।

5. सामान्य परिवारों के बाहुल्य वाले ग्रामों में नलजल योजना की लागत का 3.00 प्रतिशत अंशदान तथा अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल ग्रामों में नलजल योजना की लागत का 1.00 प्रतिशत अंशदान जन सहयोग के रूप में एकत्र करना होगा।

6. अंशदान के रूप में एकत्रित राशि सावधि जमा के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी करा कर विभाग द्वारा जमा कराई जावेगी।

7. जिन समितियों द्वारा नलजल योजना सफलता पूर्वक चलाई जावेगी उन योजनाओं में एकत्रित अंशदान की राशि में से 20.00 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष के मान से प्रोत्साहन राशि के रूप में आने वाले 5 वर्षों में उस समिति को वापस कर दी जावेगी।

8. पानी का वितरण ग्राम के सभी परिवारों में समान रूप से हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

9. विभिन्न उपभोक्ताओं हेतु देय जलकर की राशि का निर्धारण ग्राम की जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जावेगा। अत्यन्त कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को समिति द्वारा जलकर जमा करने से पूर्ण अथवा आंशिक छूट भी दी जा सकती है।

xke & xkthiqj] iapk;r&pV~vkekj] ftyk&e.Myk e/; foHkkx }kjk fØ;kfUor lkSyj iEi vk/kkfjr ii; ty ;kstuk

· **in's'k dh xzkeh.k clkgVksa esa LFkkfir gS.Miai ,oa uy ty iznk; ;kstuk,a %&**

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 31.12.2017 की स्थिति में स्थापित हैंडपंपों व क्रियान्वित की गई नलजल योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :–

- **LFkkfir gS.Miaiksa dh fLFkfr %&**

Øekad	fooj.k	la[;k
1.	dqy LFkkfir 'kkldh; gS.MiEi	5]36]176
2.	चालू हैंडपम्प	5,12,017
3.	कुल बन्द हैण्डपम्प	24,159
3.1	जलस्तर कम होने से बन्द हैण्डपम्प	17,237
3.2	असुधार योग्य (भरे–पटे आदि)	2989
3.3	साधारण खराबी से बन्द (सुधार योग्य)	3933

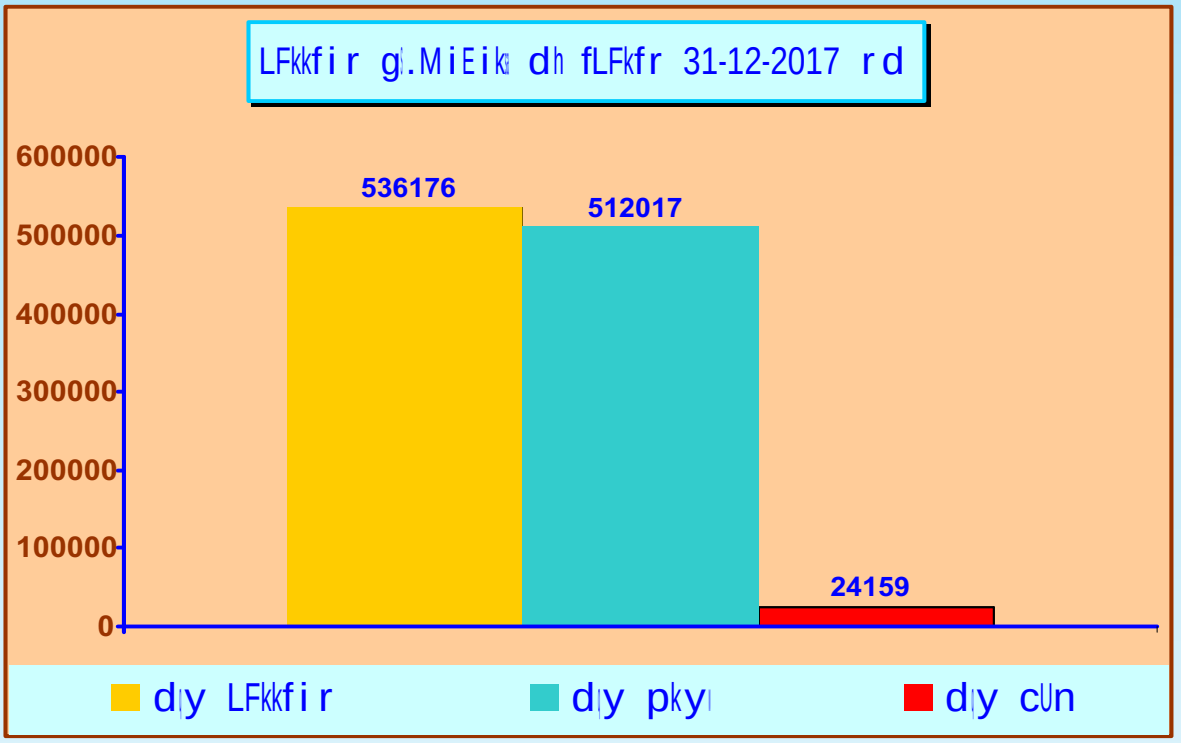

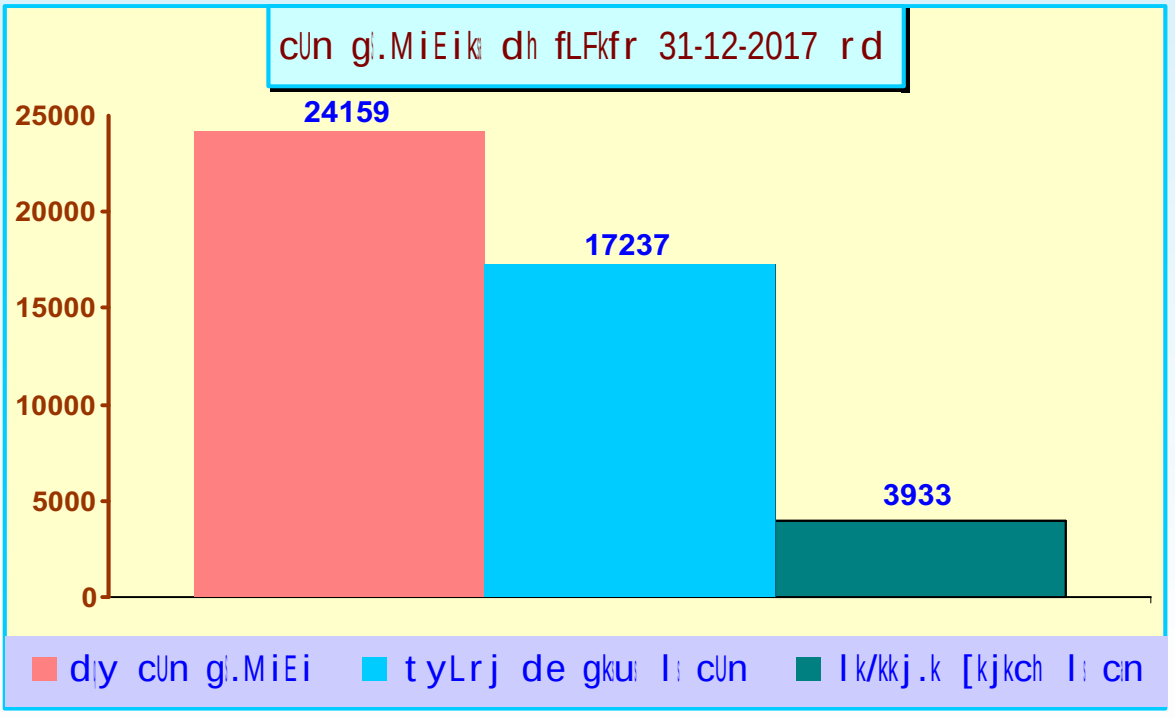

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हैण्डपंपों का संधारण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है। साधारण खराबी के कारण बन्द हैण्डपम्प निरंतर सुधार प्रक्रिया के अन्तर्गत नियमित रूप से सुधारे जाते हैं, विभाग द्वारा कुछ विकासखण्डों में निजी संस्थाओं को आउट सोर्स कर एवं शेष विभागीय मैकेनिकों के माध्यम से संधारण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है जिसके लिए सभी जिलों में हैण्डपंप मैकेनिक पदस्थ हैं। संधारण कार्यों के अंतर्गत ही सामान्य रख–रखाव के साथ साथ जल स्तर नीचे जाने पर हैण्डपंपों में राइजर पाइप में वृद्धि के कार्य, संभव होने पर भरे–पटे नलकूपों को साफ कर उन्हें पुनः पेयजल हेतु उपयोगी बनाने के कार्य, हाइड्रोफ्रैक्चरिंग व हैण्डपंपों के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म निर्माण आदि के कार्य भी विभाग द्वारा कराये जाते हैं।

- LFkkfir uy ty@LFky ty iznk; ;kstukvksa dh fLFkfr %&

प्रदेश में 31.12.2017 की स्थिति में, ग्रामीण क्षेत्र में कुल 15358 ग्रामीण नलजल/ स्थलजल प्रदाय योजनाएं संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

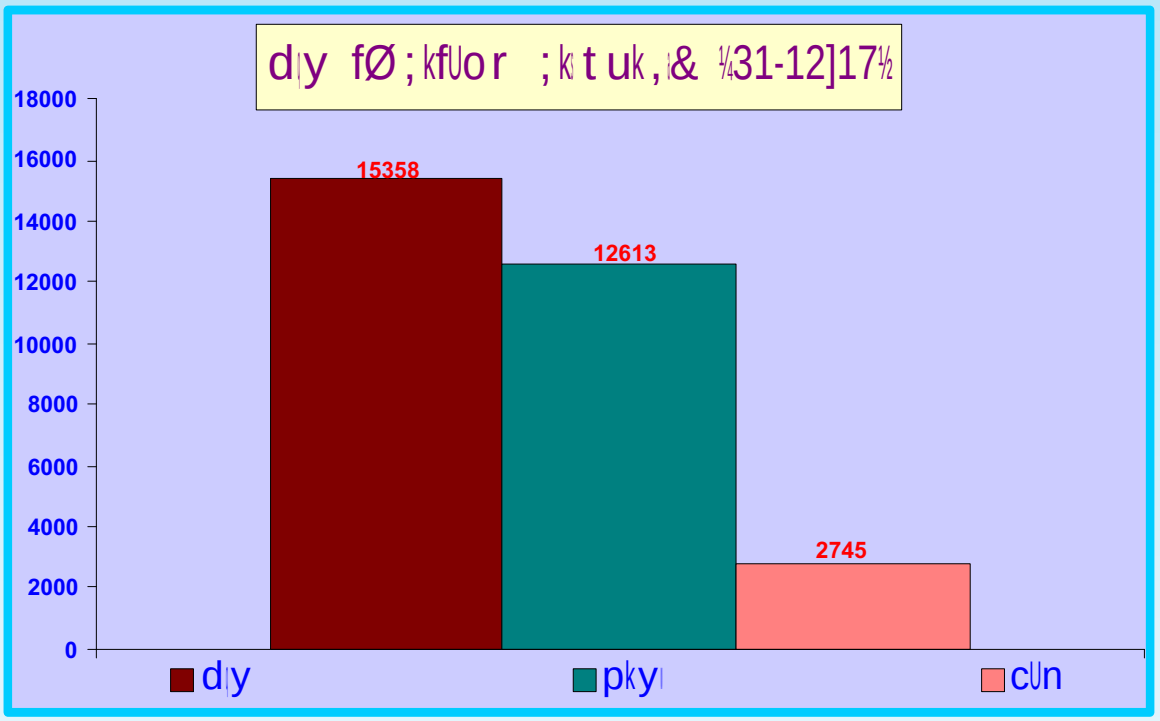

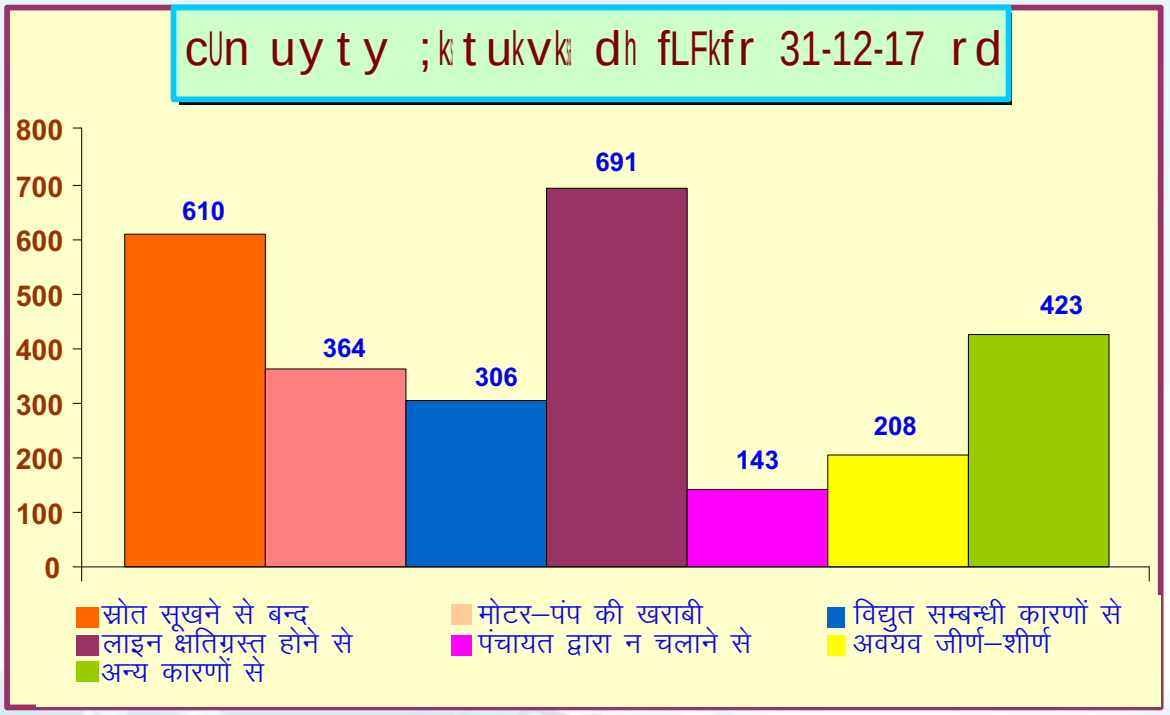

3-5 i;ty 0;oLFkk dh fuxjkuh%&

ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने हेतु स्थापित हैण्डपंपों का सतत् भौतिक निरीक्षण कराया जाता है। हैण्डपंप संधारण कार्य को लोक सेवा प्रदाय गारन्टी अधिनियम–2005, के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त स्रोतों के जल का परीक्षण कर उनके जल की गुणवत्ता का भी सतत् अनुश्रवण किया जाता है।

3-6 xq.koRrk iHkkfor i;ty L=krk okyh clkgVk dh ;ktukvk dk fooj.k%&

भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत फ्लोराइड, खारापानी व लौह तत्व आदि जल गुणवत्ता समस्या से प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कार्य किये जा रहे हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में 190 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें पाई गई हैं। इनमें वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3-6-1 ¶ykjkfll fu;=.k%&

पेयजल में 1.5 मि.ग्रा./लीटर से अधिक फ्लोराइड की मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फ्लोराइड प्रदूषित पेयजल के निरंतर सेवन से फ्लोरोसिस बीमारी हो सकती है, जिसका प्रारंभिक अवस्था में बचाव किया जा सकता है। दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में 6 जिलों की 174 बसाहटों में से 03 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है तथा शेष 171 बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जा रहे है।

3-6-2 [kkjiu d fu;=.k dh ;ktuk,%&

पेयजल में कुल घुलित लवणों की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर (कोई अन्य स्रोत न होने की दशा में) है। पेयजल में उपरोक्त मात्रा से अधिक लवण होने पर पानी खारा हो जाता है।

दिनांक 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार प्रदेश के मात्र एक जिले भिण्ड की 11 बसाहटों में खारेपन की अधिकता पाई गई है, इन सभी बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

jk"Vªh; xzkeh.k i;ty dk;ZØe d s vUrxZr ¶yksjkbM iz Hkkfor] /kkj ftys d s fodkl[k.M /kjeiqjh d s xzke dkBhnk e sa ¶yksjkbM eqDr i s;ty iznk; grq LFkkfir fd;s x;s byDVªkfyfVd fM&¶yksjhM s'ku l a;= }kjk 'kq) i s;ty iznk; dh oSdfYid O;oLFkkA

jk"Vªh; xzkeh.k i;ty dk;ZØe d s vUrxZr ¶yksjkbM iz Hkkfor] /kkj ftys d s fodkl[k.M ukyNk d s xzke xzke NkVkcj[kMk e sa ¶yksjkbM eqDr i s;ty iznk; grq LFkkfir fd;s x;s byDVªkfyfVd fM&¶yksjhM s'ku l a;= }kjk 'kq) i s;ty iznk; dh oSdfYid O;oLFkkA

3-6-3 ykg rRo dh vf/kdrk dk fujkdj.k %&

पेयजल में लौहतत्व की अधिकता होने से पानी लाल–भूरा हो जाता है एवं रंग के कारण अस्वीकार्य हो जाता है। पेयजल में लौहतत्व की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 0.3 मिली ग्राम प्रतिलीटर है। प्रदेश के एक जिले शहडोल में 5 बसाहटें लौह तत्व की अधिकता से प्रभावित पाई गई हैं, इनमें वैकल्पिक पेयजल प्रदाय की व्यवस्था की जा रही है।

3-7 Hkty lo/ku ,o iuHkj.k dk;Øe %&

प्रदेश में अधोसंरचना एवं भवन निर्माण के क्षेत्र में हो रहे तीव्र विकास, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ते हुये शहरीकरण, औद्योगीकरण तथा कृषि कार्य हेतु भूजल के अत्यधिक उपयोग में वृद्धि के फलस्वरूप उपलब्ध जल भंडारों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में असामान्य एवं असंतुलित वर्षा, भूजल पर निरंतर बढ़ती निर्भरता के कारण भू–जल स्तर में निरंतर गिरावट हुई है। भूजल के निरंतर दोहन से जल गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। प्रदेश के मालवा–निमाड़ क्षेत्र तथा ग्वालियर–चंबल, रीवा तथा सागर संभागों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के भूजल स्तर में सतत गिरावट परिलक्षित हुई है। भूजल स्तर में गिरावट के कारण जहां पूर्व में कुंओं से निरंतर पेयजल उपलब्ध हो जाता था, वहीं आज गहरे नलकूपों का खनन आवश्यक हो गया है।

3-7-1 केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2010–11 में किये गये ऑकलन के अनुसार प्रदेश के 33 जिलों के 24 विकास खंड अतिदोहित (Over-exploited), 4 विकासखण्ड दोहित (Critical) एवं 67 विकास खण्ड अर्द्धदोहित (Semicritical) श्रेणी में हैं। इन विकास खंडों में भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुये इसका संरक्षण एवं संवर्धन करना अत्यंत आवश्यक है। विभाग द्वारा इन विकास खंडों में भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण का कार्य किया जा रहा है। विकासखण्डों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

ftyk	fodkl [k.Mk dk uke					
	Ø-	vfrnkfgr	Ø-	nkfgr J.kh	Ø-	v)nkfgr J.kh
बड़वानी	1	पानसेमल			1	राजपुर
					2	ठीकरी
धार	2	बदनावर			3	मनावर
	3	धार			4	तिरला
	4	धरमपुरी				
	5	नालछा				
इंदौर	6	इंदौर			5	महूँ
	7	सांवेर				
	8	देपालपुर				

ftyk	fodkl [k.Mk d uke					
	Ø-	vfrnkfgr	Ø-	nkfgr J.kh	Ø-	v)nkfgr J.kh
मंदसौर	9	मंदसौर			6	मल्हारगढ़
	10	सीतामऊ			7	भानपुरा
रतलाम	11	जावरा			8	सैलाना
	12	पिपलोदा				
	13	रतलाम				
	14	आलोट				
शाजापुर	15	मोमन बड़ोदिया			9	कालापीपल
	16	शुजालपुर			10	शाजापुर
उज्जैन	17	उज्जैन			11	महिदपुर
	18	बड़नगर			12	खाचरौद
	19	घटिया				
देवास	20	देवास			13	खातेगांव
	21	सोनकच्छ				
आगर	22	नलखेड़ा	1	आगर	14	बड़ोद
	23	सुसनेर				
सतना	24	रामपुर बघेलान	2	अमरपाटन	15	नागौद
			3	सोहावल	16	मैहर
नरसिंहपुर			4	नरसिंहपुर	17	गोटेगांव
					18	करेली
					19	चॉवरपाठा
भोपाल					20	फंदा
					21	बैरसिया
बैतूल					22	बैतूल
बुरहानपुर					23	बुरहानपुर
छिन्दवाड़ा					24	छिंदवाड़ा
छतरपुर					25	छतरपुर
					26	राजनगर
					27	नौगांव
					28	बक्सवाहा
					29	बड़ा मलहरा
खरगौन					30	खरगौन
					31	महेश्वर
					32	बड़वाहा
खंडवा					33	छेगॉव माखन

ftyk	fodkl [k.M dk uke					
	Ø-	vfrnkfgr	Ø-	nkfgr J.kh	Ø-	v)Znkfgr J.kh
नीमच					34	जावद
					35	नीमच
रीवा					36	गंगेव
					37	सिरमौर
सीधी					38	सीधी
सीहोर					39	सीहोर
					40	आष्टा
जबलपुर					41	शहपुरा
राजगढ़					42	नरसिंहगढ़
					43	खिलचीपुर
					44	सारंगपुर
					45	ब्यावरा
ग्वालियर					46	मुरार
शिवपुरी					47	खनियाढाना
					48	करेरा
					49	नरवर
					50	बदरवास
					51	पिछौर
दतिया					52	दतिया
गुना					53	गुना
मुरैना					54	मुरैना
					55	कैलारस
					56	सबलगढ़
पन्ना					57	अजयगढ़
टीकमगढ़					58	बल्देवगढ़
					59	निवाड़ी
					60	टीकमगढ़
					61	पलेरा
					62	जतारा
सागर					63	बंडा
					64	सागर
					65	रेहली
दमोह					66	पथरिया
					67	हटा

3-7-2 भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण हेतु शासन द्वारा लागू की गई व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा की सहमति से तैयार की गई भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण योजनाओं को स्वीकृत करने के लिये प्राथमिकता का निर्धारण जिला जल एवं स्वच्छता समिति, जिसके अध्यक्ष जिले के कलेक्टर हैं, के द्वारा किया जाता है और स्वीकृति पश्चात योजनाओं का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किये जाने का प्रावधान था। किन्तु वर्तमान परिपेक्ष्य में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा नवीन भूजल संवर्धन संरचनाओं हेतु धन राशि उपलब्ध नही कराई जा रही है, जिसके कारण विभाग द्वारा नवीन योजनाओं के कार्य नही किये जा रहे है।

3-7-3 अतिदोहित विकास खंडों में राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न कृषि– जलवायु एवं सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों की स्थिति के आधार पर पश्चिमी मध्यप्रदेश में स्थित विकासखंड पिपलोदा, जिला रतलाम तथा पूर्वी मध्यप्रदेश में स्थित विकासखंड रामपुर बघेलान, जिला सतना में ग्रामवार जल सुरक्षा एवं भूजल संवर्धन के कार्य किए गए हैं इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामवासियों की सहभागिता से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप भूजल संवर्धन संरचनाएं प्रस्तावित कर विभिन्न विभागों के समन्वय से क्रियान्वित की जा रही हैं।

3-7-4 अतिदोहित विकासखंडों में सस्टेनेबिलिटी योजना प्रारंभ करने की भारत सरकार, के जल संसाधन मंत्रालय, की योजना के अंतर्गत विकासखंड उज्जैन जिला उज्जैन, में नरवर माइक्रोवाटरशेड तथा विकासखंड धार जिला धार में जैतपुरा माइक्रोवाटरशेड में कार्य प्रगति पर है। उक्त कार्य केन्द्रीय भूजल बोर्ड के तकनीकी सहयोग से किये जा रहे हैं।

3-7-5 प्रदेश में भूजल स्तर में गिरावट को रोकने एवं भूजल स्त्रोतों पर बढ़ते हुए दबाब को कम करने के लिए मध्यप्रदेश शासन इस विषय को जारी दृष्टि पत्र –2018 में भी सम्मिलित किया गया है। भूजल स्तर में गिरावट रोकने के लिये निम्नांकित एकीकृत कदम उठाने जाने की आवश्यकता हैः–

1. सतही जल के संरक्षण एवं भूजल के संवर्धन तथा प्रबंधन हेतु एकीकृत ठोस कार्यवाही।
2. सतही जल तथा भूजल के भंडारण, संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन एवं मिले जुले उपयोग हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त एकीकृत योजनाओं का निर्माण।
3. भूजल पुनर्भरण योजनाओं के अंतर्गत जन सहभागिता से संरचनाओं का निर्माण एवं रख रखाव की अनिवार्यता।
4. सतही एवं भू–जल स्त्रोतों के उचित उपयोग हेतु जल की उपयोगिता का प्राथमिकताक्रम निर्धारित करने हेतु जलनीति तैयार की जाना आवश्यक है।

3-8 foHkkxh; uydi [kuu e'khuksa dk fooj.k %&

ग्रामीण क्षेत्र में हैण्डपम्पों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूपों का खनन, विभागीय रूप से विभागीय रिगों द्वारा सम्पादित किया जाता है। बड़े ग्रामों की नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भी स्रोत नलकूपों के खनन के कार्य विभागीय रिगों द्वारा किए जाते हैं। विभागीय मशीनों की क्षमतानुसार वर्ष में लगभग 12,000 नलकूप खनित किये जा सकते हैं। वर्ष 2016–17 में कुल 6696 नलकूपों का खनन एवं 1122 कम आवक क्षमता वाले नलकूपों के पुनर्जीवीकरण का कार्य भी विभागीय हाईड्रोफेक्चरिंग इकाइयों का उपयोग कर किया गया है। विभागीय रिग मशीनों से कुल 3885 नलकूपों की सफाई का कार्य भी किया गया है। विभाग में उपलब्ध यील्ड टेस्ट इकाइयों के द्वारा नलजल योजना हेतु 100 नलकूपों का यील्ड टेस्ट भी किया गया है।

नलकूप खनन हेतु विभाग में कुल 102 विभागीय खनन मशीनें उपलब्ध है, जिनमें 90 डी.टी.एच. रिग, 8 रोटरी रिग तथा 4 काम्बीनेशन मशीनें हैं। जिलों की भू–संरचना को दृष्टिगत रखते हुए डी.टी.एच. रिग पथरीले इलाके में साधारण नलकूप, रोटरी रिग मशीनें मिट्टी व रेतीले स्ट्रेटा में ग्रैवल पैक नलकूप तथा काम्बीनेशन रिग मिश्रित स्ट्रेटा के क्षेत्र में नलकूप खनन करने के लिए प्रयुक्त होती है। वर्तमान में 5 हाईड्रोफेक्चरिंग मशीनें जल आवक क्षमता बढानें एवं 4 यील्ड टेस्ट यूनिट जल आवक क्षमता परीक्षण के लिए विभाग में उपलब्ध हैं। वर्ष 2015–16 में 04 नवीन काम्बीनेशन मशीनों का क्रय विभाग द्वारा डी.जी.एस. एंड डी. के माध्यम से किया गया है, जो क्रमशः रायसेन, पन्ना, भिण्ड एवं मण्डला जिले में कार्यरत् हैं। इन मशीनों में काम्बीनेशन (ग्रेवल पैक) रोटरी तथा ऑडेक्स ड्रिलिंग के माध्यम से सफलतापूर्वक नलकूप खनन की क्षमता है।

उक्त उल्लेखित 102 मशीनों में से कम खनन क्षमता की अत्यधिक पुरानी 25 मशीनें अपलेखन हेतु प्रस्तावित हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में कम हो रहे भूगर्भीय जलस्तर एवं मिश्रित भूगर्भीय संरचना के दृष्टिगत अधिक खनन क्षमता की 11 नवीन उच्च स्तरीय एवं 5 काम्बिनेशन मशीनें क्रय किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

- foHkkxh; fMªfyax e'khuksa }kjk foxr o"kksZa esa fd;s x, dk;ksZa dh izxfr %&

वर्ष	खनित नलकूपों की संख्या	सफल नलकूपों की संख्या
2014–15	9336	8311
2015–16	9902	9034
2016–17	6696	5896
2017–18 (माह दिसं., 17 तक)	7005	6228

विभागीय मशीनों से वर्ष 2017–18 में अद्यतन 1849 नलकूपों की सफाई, 598 नलकूपों में हाईड्रोफेक्चरिंग तथा 282 नलकूपों की आवक क्षमता का परीक्षण किया गया।

वर्ष 2016–17 में शासन द्वारा अनुपयोगी मशीनों एवं संयंत्रों हेतु गठित अपलेखन समिति द्वारा 35 मशीनों के अपलेखन हेतु अनुशंसा की गई है, जिनमें 27 मशीनों का अपलेखन किया जाकर रुपये 33.96 लाख का राजस्व प्राप्त हो चुका है तथा शेष मशीनों का अपलेखन मूल्य रुपये 29.49 लाख का राजस्व प्राप्त होना संभावित है। शेष मशीनों की अपलेखन की कार्यवाही प्रगतिरत् है।

- foHkkxh; okguksa dh tkudkjh %&

विभाग के मेकेनिकल खण्ड भोपाल के अन्तर्गत वर्ष 1991 के बाद के 18 निरीक्षण वाहन उपलब्ध हैं, जो भोपाल मुख्यालय के अधिकारियों को आवंटित हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में आवश्यकतानुसार निरीक्षण वाहन किराये पर लिये जाते हैं ।

- foHkkxh; odZ'kki dh tkudkjh %&

विभाग के मैकेनिकल संकाय के अन्तर्गत 03 वर्कशाप उपखण्ड विभागीय मशीनों के सुधार कार्य हेतु कार्यरत थे, शासन के निर्देशानुसार भण्डार खण्ड भोपाल के अन्तर्गत भोपाल में कार्यरत वर्कशाप उपखण्ड, भण्डार उपखण्ड क्रमांक–1 एवं भण्डार उपखण्ड क्रमांक–2 को नर्मदा परियोजना खण्ड भोपाल, मेकेनिकल

खण्ड ग्वालियर के अन्तर्गत ग्वालियर में कार्यरत वर्कशाप उपखण्ड को दतिया तथा मेकेनिकल खण्ड जबलपुर के अन्तर्गत जबलपुर में कार्यरत वर्कशाप उपखण्ड को सिंगरौली जिले में स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में कोई भी विभागीय वर्कशाप क्रियाशील नहीं है।

विभाग के मेकेनिकल संकाय के अन्तर्गत स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की, (दिनांक 31.12.2017 की स्थिति में) जानकारी :–

Ø-	inuke	Lohd`r in	Hkjs in	fjDr in
1	मुख्य अभियंता	01	0	01
2	अधीक्षण यंत्री	05	03	02
3	कार्यपालन यंत्री	11	08	03
4	सहायक यंत्री	62	26	36
5	उपयंत्री	263	105	158

3-9 izf'k{k.k dk;Øe %&

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता प्रणालियों के सफल रूपांकन, कार्यान्वयन, परिचालन एवं रख–रखाव के लिये अद्यतन प्रचलित तकनीकों में दक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः विभाग के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को जल आपूर्ति तथा सफाई–व्यवस्था के क्षेत्र में परिवर्धित तकनीकों तथा प्रबंधन दक्षता प्राप्त होना तथा समय–समय पर इसे अद्यतन करना और जलप्रदाय व स्वच्छता के क्षेत्र में हुए नवीनतम अनुसंधान एवं विकास से अवगत कराना आवश्यक है। इस हेतु वर्ष 2016–17 में कुल 162 एवं वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर 2017 तक कुल– 271 अधिकारियों/कर्मचारियों को नामांकित किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर 2017 तक आयोजित प्रशिक्षणः–

laLFkk dk uke	o"kZ 2016&17		o"kZ 2017&18		dqy	
	izf'k{k.k la[;k	izf'k{kq	izf'k{k.k la[;k	izf'k{kq	izf'k{k.k la[;k	izf'k{kq
1	2	3	4	5	6	7
सी.पी.एच.ई.ई.ओ.नई दिल्ली	–	–	05	25	05	25
प्रशासन अकादमी भोपाल	02	60	14	111	16	171
इंजीनियरिंग स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद	04	41	01	02	05	43
केन्द्रीय भूजल बोर्ड, भोपाल	–	–	01	33	01	33
म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल	–	–	02	65	02	65
आपदा प्रबंधन संस्थान, भोपाल	–	–	01	35	01	35
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भोपाल	05	25	–	–	05	25
एम.ए.पी.आई.टी. भोपाल	05	20	–	–	05	20
केन्द्रीय भूजल बोर्ड, रायपुर	04	08	–	–	04	08
पंडित कुंजीलाल दुबे संसदीय विद्यापीठ, भोपाल	01	08	–	–	01	08

उपरोक्तानुसार आयोजित प्रशिक्षणों में मुख्यतः निम्न विषयों पर अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया :–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005, साइबर सुरक्षा एवं प्रबंधन तथा नवनियुक्त सहायक यंत्रियों का मूलभूत परिचयात्मक प्रशिक्षण– प्रशासन अकादमी।

2. Rain Water Harvesting, Ground Water, Total Quality management & Scientific Source Finding by CPHEEO, New Delhi.

3-10 foHkkxh; dEI;Vjhdj.k %&

विभागीय कार्यक्रमों तथा योजनाओं की समुचित क्रियान्वयन तथा यथोचित प्रगति हेतु सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु केन्द्र शासन तथा राज्य शासन द्वारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा उनकी प्रगति की सत्त निगरानी तथा समीक्षा हेतु निरंतर नये प्रयास, नये साफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। विभाग में भारत शासन तथा राज्य शासन एवं विभाग के विभिन्न साफ्टवेयर के सहयोग से विभागीय कार्यक्रम एवं योजनाओं की ऑनलाईन समीक्षा संभव हो सकी है। इस हेतु विभाग के ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी निरंतर किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय से उपखंड स्तर तक के सभी कार्यालयों हेतु विभाग द्वारा कम्प्यूटरीकरण की योजना की स्वीकृति राजीव गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रीय सहायता से की गयी थी। विभाग की गतिविधियों, योजना, कार्यक्रमों से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण हेतु विभिन्न स्तर पर कस्टमाईज्ड साफ्टवेयर को विकसित किया गया है। साफ्टवेयर में जिलास्तर से प्रत्येक माह जानकारी भरी जाती है, एवं विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है। विभाग की आवश्यकतानुसार इस साफ्टवेयर में समय समय पर नवीन माडयूल का समावेश तथा पुराने माड्यूल को अद्यतन किया जाता है।

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा भी विभाग की केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा हेतु ऑन लाईन साफ्टवेयर का विकास किया गया है। इस साफ्टवेयर के माध्यम से विभाग की समस्त योजनाओं की विस्तृत प्रगति/स्थिति का अवलोकन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन के विभिन्न ऑनलाईन साफ्टवेयरों जैसे– परख, मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, समाधान ऑनलाईन एवं लोक सेवा गारंटी इत्यादि में भी जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। इन समस्त सॉफ्टवेयर्स का उपयोग विभाग के कार्यालयों में उपलब्ध कम्प्यूटर हार्डवेयर के उपयोग से किया जाता है। वर्तमान में प्रचलित नवीन एप्लीकेशन साफ्टवेयरों का विभाग में समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु विभाग के विभिन्न कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर हार्डवेयर को समय–समय पर अद्यतन तथा नये कम्प्यूटर हार्डवेयर का क्रय किया जाता है।

विभागीय कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत विभाग के कार्यालयों में निम्नानुसार कम्प्यूटर/हार्डवेयर आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है :–

- **iez[k vfHk;ark dk;kZy;**

प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रमुख अभियंता, प्रमुख अभियंता (सलाहकार), संचालक, जल सहायता संगठन एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों तथा विभिन्न महत्वपूर्ण कक्षों में कम्प्यूटर तथा प्रिंटर स्थापित किये गये हैं। इनका उपयोग प्रदेश स्तरीय आंकड़ों के संग्रहण, विभागीय कस्टमाईज्ड साफ्टवेयर, भारत सरकार, राज्य शासन के विभिन्न ऑन लाईन साफ्टवेयर, ई–मेल से जानकारी के सम्प्रेषण एवं सामान्य पत्राचार के लिये

आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में सभी कम्प्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क एवं इन्टरनेट से जोड़े गये हैं। प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार एन.आई. सी. एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से साफ्टवेयर विकास का कार्य भी किया जा रहा है। विभाग में बजट आवंटन तथा व्यय के लेखा जोखा, मानव संसाधन से संबंधित कार्य का संधारण भी वित्त विभाग के ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है।

- ifj{k= dk;kZy;

विभाग के विभिन्न परिक्षेत्र कार्यालयों में लेपटॉप, डेस्कटॉप कम्प्यूटर आवश्यक साफ्टवेयर के साथ, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एवं डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर उपलब्ध कराये गये हैं। समस्त परिक्षेत्र कार्यालयों में इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त आवश्यक यू.पी.एस. इत्यादि भी स्थापित किये गये हैं। परिक्षेत्र कार्यालयों द्वारा उनके अधीनस्थ मंडल तथा खंड कार्यालयों की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की समीक्षा उक्त कम्पयूटर हार्डवेयर तथा विभिन्न विभागीय साफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है।

- eMy dk;kZy;

विभाग के अंतर्गत मंडल कार्यालयों को भी आवश्यक साफ्टवेयर के साथ, इन्टरनेट कनेक्शन सहित कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। मंडल कार्यालय भी विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा इन संसाधनों के माध्यम से कर रहे हैं ।

- [k.M dk;kZy;

कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत जिला स्तर के प्रत्येक खण्ड कार्यालयों को भी इन्टरनेट कनेक्शन सहित कम्प्यूटर, प्रिंटर के साथ–साथ यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त जिला प्रयोग शालाओं हेतु भी कम्प्यूटर आवश्यक साफ्टवेयर के साथ उपलब्ध कराये गये हैं। खंड कार्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के यथोचित संसाधनों की उपलब्धता के कारण विभिन्न ऑनलाईन साफ्टवेयर का उपयोग आवंटन एवं व्यय का लेखा जोखा रखना, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की रिपोर्टिंग इत्यादि सरल एवं सहज हो गई है। इन्टरनेट, व्ही.पी.एन. इत्यादि सुविधाओं के कारण वित्त से संबंधित समस्त कार्य ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

- mi[k.M dk;kZy;

विभाग के विकास खण्ड स्तर पर स्थित उपखण्ड कार्यालयों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा यू.पी.एस. उपलब्ध कराये गये हैं। प्रदेश में लागू लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु शासन की वेबसाइट पर आम नागरिक से प्राप्त आवेदनों की डाटा एन्ट्री करने तथा सेवा उपलब्ध करवाने की स्थिति की समीक्षा हेतु एक नग कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू.पी.एस. इन्टरनेट कनेक्टीविटी के साथ पृथक से उपलब्ध करवाया गया है। विभाग के उपखंड स्तर के कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिलाया गया है।

- jkT; vuqla/kku iz;ksx'kkyk

राज्य अनुसंधान प्रयोग शाला भोपाल को भी कम्प्यूटर, यू.पी.एस. व प्रिंटर उपलब्ध कराये गये हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के ऑन लाईन साफ्टवेयर के माध्यम से पेयजल स्रोतों के जल की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग हेतु राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला को राज्य संदर्भ

संस्थान बनाया गया है। जल गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न परीक्षणों के ऑकड़ों के संधारण हेतु भी कम्प्यूटर का उपयोग किया जा रहा है।

- **lpuk iks|kSfxdh lalk/kuks dk v|ruhdj.k**

  विभाग द्वारा पूर्व में विकसित विभिन्न कस्टमाईज्ड साफ्टवेयर तथा उपलब्ध हार्डवेयर, नेटवर्क इत्यादि को विभाग की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है एवं तद्नुसार अद्यतन करने की कार्यवाही समय–समय पर की जाती है। नवीन प्रौद्योगिकी के हार्डवेयर का क्रय भी आवश्यकतानुसार किया गया है।

- **foHkkxh; dEI;wVj izf'k{k.k dk;ZØe**

  विभाग द्वारा विगत वर्षो में प्रमुख अभियंता कार्यालय, परिक्षेत्र कार्यालयों एवं जिला स्तर के खंड कार्यालयों एवं उपखंड कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी प्रशिक्षणों के माध्यम से दी गई है। भारत सरकार तथा प्रदेश के विभिन्न ऑनलाईन साफ्टवेयर में डाटा एन्ट्री करने तथा इनका उपयोग कर कार्य की समीक्षा करने हेतु भी, विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भारत सरकार से सहायक गतिविधियों के अंतर्गत प्राप्त राशि से आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित किये गये हैं।

- **bZ&VsaMfjax izfØ;k**

  शासन के निर्देशानुसार विभाग में समस्त निविदाओं का आमंत्रण तथा निष्पादन ई–टेण्डरिंग के माध्यम से किया जा रहा है। इस हेतु मध्यप्रदेश शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चयनित सेवा प्रदायकर्ता के ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से ई–टेण्डरिंग का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया का क्रियान्वयन करने हेतु अनुबंधित फर्म के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है।

- **foHkkxh; osclkbV**

  लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की वेबसाइट (www.mpphed.gov.in) पर निम्न महत्वपूर्ण जानकारियॉ भी उपलब्ध कराई गई हैं।

  - विभाग के उद्देश्य, दायित्व, संरचना व योजनाओं की जानकारी।
  - विभागीय कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी।
  - सूचना के अधिकार 2005 की जानकारी एवं विभिन्न प्रपत्र एवं मैन्युअल ।
  - विभाग द्वारा जनता को दी जाने वाली सेवाओं एवं पेयजल नमूनों के परीक्षण शुल्क की जानकारी ।
  - तकनीकी व अन्य परिपत्र/निर्देश, विभिन्न स्तर के तकनीकी एवं वित्तीय अधिकार, आई.एस. कोड की सूची, विभागीय कार्यालयों के दूरभाष, आदि का विवरण।
  - अधिकारियों/कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची।
  - विभाग द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं की जानकारी ।
  - विभागीय फोरम।

- विभागीय उत्कृष्ठ कार्यो के वीडियो, आडियो, छायाचित्र, सफलता की कहानियाँ, प्रचार–प्रसार सामग्री।
- अधीनस्थ कार्यालयों से पत्राचार की व्यवस्था वेबसाईट के माध्यम से की गई है जिससे अनावश्यक स्टेशनरी एवं डाक व्यय की बचत के साथ समय की भी बचत हो।
- विभिन्न कार्यालयों द्वारा की जा रही गतिविधियों की दक्षता का विवरण।
- विभाग में लागू दर–अनुसूचियॉ (SOR)

3-11 uxjh; i;t y dk;Øe %&

3-11-1 dk;Øe vkj miyfCèk;k %&

15 जनवरी 2016 की स्थिति में प्रदेश की केवल 2 जल प्रदाय योजनाओं क्रमशः सीधी एवं झाबुआ को छोडकर शेष सभी नगरीय योजनाऐं संबंधित नगरीय निकायों द्वारा संचालित– संधारित की जा रही हैं ।

3-11-2 lkekU; uxjh; tyink; ;ktuk dk;Øe %&

नगरीय जल प्रदाय योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत छिन्दवाड़ा शहर की पेंचव्हेली समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त योजना के स्रोत मंधान बॉध का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा योजनान्तर्गत स्वीकृत शेष सभी अवयव पूर्ण किये जा चुके हैं ।

3-11-3 fu{ki en e foHkkx }kjk fØ;kfUor uxjh; ;ktuk,i %&

सागर जिले के खुरई नगर एवं औद्योगिक क्षेत्र सिदगुवां की जल प्रदाय योजनायें निक्षेप मद में क्रमशः रुपये 3138.00 लाख एवं रुपये 1035.00 लाख की लागत से विभाग द्वारा क्रियान्वित की गयी हैं, जिसमें से खुरई नगर की जल प्रदाय योजना निश्चित समयावधि में पूर्ण कर दी गई एवं औद्योगिक क्षेत्र सिदगुवां की योजना का कार्य प्रगति पर है ।

3-11-4 jk"Vh; unh@>hy lj{k.k ;ktuk dk;Øe %&

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निक्षेप कार्य के रूप में विभाग द्वारा 2 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनकी कुल लागत राशि रूपये 7571.00 लाख है, विवरण निम्नानुसार :–

क्र.	योजना का नाम	लागत रूपये लाख में
1	शिवपुरी झील संरक्षण योजना, जिला शिवपुरी	6951.00
2	चित्रकूट नदी संरक्षण योजना, जिला सतना	620.00

4- Hkkx&pkj

4-1 lkekU; iz'kklfud fo"k;

4-1-1 U;k;ky;hu izdj.k %&

दिनांक 31.12.2017 तक विभाग से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में दायर प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार है:–

क्रमांक	न्यायालय	31.12.2017 की स्थिति में प्रकरणों की संख्या
1	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	25
2	माननीय उच्च न्यायालय	1136
3	माननीय माध्यस्थ अभिकरण	07
4	माननीय औद्योगिक न्यायालय	35
5	माननीय दावा अभिकरण	–
6	माननीय जिला न्यायालय	128
7	माननीय श्रम न्यायालय	274
	dqy ;ksx	1605

4-1-2 LFkkukUrj.k izdj.k %&

01.01.2017 से 31.12.2017 तक की अवधि में विभाग द्वारा प्रशासकीय एवं स्वयं के व्यय पर किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण का विवरण निम्नानुसार है :–

J.kh	dqy LFkkukUrj.k
प्रथम श्रेणी	25
द्वितीय श्रेणी	19
तृतीय श्रेणी	223

4-1-3 foHkkxh; inkUufr;k %&

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका के तहत् पदोन्नतियों पर रोक लगाये जाने के कारण वर्ष 2017 में विभागीय पदोन्नतियॉ नहीं की गई हैं। मान. न्यायालय के अधीन प्रकरण में 23 उपयंत्री, डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी/मानचित्रकार संवर्ग से सहायक यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नति दी गई है।

4-1-4 foHkkxh; tkp izdj.k %&

दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 की अवधि में लम्बित विभागीय जाँच प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है:–

प्रथम श्रेणी के 23 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 2 विभागीय जांच प्रकरणों में 3 अधिकारियों पर एवं विभाग स्तर पर संस्थित 9 विभागीय जांच प्रकरणों में 20 अधिकारियों पर विभागीय जांच प्रचलित है)।

द्वितीय श्रेणी के 5 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 1 विभागीय जॉच प्रकरण में 4 अधिकारी पर तथा विभाग स्तर पर संस्थित 5 विभागीय जांच प्रकरणों में 5 अधिकारियों पर विभागीय जांच चल रही है)।

तृतीय श्रेणी के 18 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है (लोकायुक्त की अनुशंसा पर 1 विभागीय जांच एवं विभाग स्तर पर संस्थित 5 विभागीय जॉच प्रकरणों में 17 अधिकारियों पर विभागीय जॉच चल रही है)।

विभाग के 4 कार्यपालन यंत्री, (2 कार्यपालन यंत्री अभियोजन में एवं 2 कार्यपालन यंत्री विभागीय प्रकरण), 3 सहायक यंत्री (अभियोजन में) एवं 10 उपयंत्री एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारी अभियोजन प्रकरण में निलम्बित हैं।

4-1-5 fu;fDr;k¡ %&

वर्ष 2017 में 31.12.2017 तक सीधी भर्ती के पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 40 सहायक यंत्रियों (सिविल/मैकेनिकल) एवं 6 शीघ्र लेखकों की नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं।

4-2 lpuk dk vf/kdkj %&

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 5 (1) एवं धारा 5 (2) के अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिये विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त हैं :–

Øekd	ykd lpuk vf/kdkjh	lgk;d ykd lpuk vf/kdkjh	izFke vihyh; vf/kdkjh
1. शासन स्तर पर	उप सचिव	अवर सचिव (तकनीकी)	सचिव/प्रमुख सचिव
2. प्रमुख अभियंता कार्यालय स्तर पर	अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)	संयुक्त संचालक (लेखा) (संयुक्त संचालक लेखा उपलब्ध न होने पर प्रमुख अभियंता द्वारा नामांकित कार्यपालन यंत्री)	प्रमुख अभियंता
3.परिक्षेत्र स्तर पर	मुख्य अभियंता कार्यालय में पदस्थ अधीक्षण यंत्री (मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित)	लेखा अधिकारी (लेखा अधिकारी पदस्थ न होने पर मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित अधिकारी/कर्मचारी)	संबंधित मुख्य अभियंता
4. मंडल कार्यालय/ अधीक्षण यंत्री कार्यालय स्तर पर	अधीक्षण यंत्री द्वारा नामांकित सहायक यंत्री	मंडल अधीक्षक (मंडल अधीक्षक उपलब्ध न होने पर अधीक्षण यंत्री द्वारा नामांकित कर्मचारी)	मंडल के अधीक्षण यंत्री
5. जिला/खंड कार्यालय स्तर पर	संबंधित खंड के कार्यपालन यंत्री	संभागीय लेखापाल	संबंधित मंडल के अधीक्षण यंत्री
6. उपखंड स्तर पर	सहायक यंत्री	उपयंत्री (मुख्यालय में पदस्थ एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा नामांकित)	कार्यपालन यंत्री

सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत 01 जनवरी' 2017 से 31 दिसम्बर' 2017 के मध्य कुल 1422 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1407 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है, शेष 15 आवेदन निराकरण हेतु प्रक्रियाधीन हैं, जिनकी समय सीमा समाप्त नहीं हुई है।

4-3 o"kZ 2017 esa fo/kku lHkk iz'uksa vkfn ls lEcfU/kr dk;Zokgh dk fooj.k%&

वर्ष 2017 में विधान सभा सत्रों की अवधि में माननीय विधायकों द्वारा पूछे गये विधान सभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं एवं स्थगन प्रस्तावों से संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :–

Ø-	fo"k;	fo/kku lHkk l= Qjojh&ekpZ 2017		fo/kku lHkk l= tqykbZ 2017		fo/kku lHkk l= uoEcj&fnlEcj 2017	
		dqy izkIr	mRrj Hksts x;s	dqy izkIr	mRrj Hksts x;s	dqy izkIr	mRrj Hksts x;s
1	विधान सभा प्रश्न	250	250	140	140	152	152
2	शून्यकाल की सूचनाएँ	09	09	04	04	07	07
3	ध्यानाकर्षण सूचनाएँ	08	08	07	07	12	12
4	स्थगन प्रस्ताव	0	0	0	0	0	0

5- Hkkx&ikp

vfHkuo ;kstuk,¡

5-1 izns'k esa 24x7 fnol tyiznk; okyh xzkeh.k uy ty ;kstukvksa dh lQyrk dh dgkuh %&

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के अनेकों ग्रामों में 24 घंटे पेयजल प्रदाय योजना प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था से ग्रामवासियों में अपार हर्ष एवं उल्लास है।

izns'k esa LFkkfir uy ty ;kstukvksa esa 24 ?kaVs xzkeh.k fuckZ/k iz;ty 0;oLFkk ds iz;kl foHkkx }kjk fd;s tk jgs gSaA

ग्राम में पेयजल योजना निर्माण के लिए ग्रामवासियों की पहल पर विभाग द्वारा इन योजनाओं में पाईप लाईन बिछाकर एवं पेयजल टंकी का निर्माण कर ग्रामों में शत–प्रतिशत नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय प्रारंभ किया गया है। पेयजल योजना के अन्तर्गत अनेकों ग्रामों में निर्मित पेयजल टंकियों पर एक–एक सेंसर लगाया गया है जो योजना के अन्तर्गत स्थापित विद्युत पंप को स्वतः चालू/बंद कर देता है एवं योजना से पेयजल व्यवस्था स्वचालित एवं निरंतरित रहती है। इस स्वचालित प्रक्रिया से पेयजल की टंकी सदैव भरी रहती है जिससे ग्रामों की पेयजल व्यवस्था 24 घंटे निरंतर चालू रहती है। ग्राम के सभी वाल्व हमेशा चालू रहते हैं जिससे ग्रामवासियों को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध रहता है।

24 ?kaVs is;ty iznk; dks fy, fd;s x;s fo'ks"k iz;kl %& ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संबंध में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से विभाग के अभियंताओं ने ग्रामवासियों को इस योजना की जानकारी देकर आवश्यक तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया।

;kstukvksa dh lQyrk dh fn'kk esa xzkeokfl;ksa dh Hkkxhnkjh lqfuf'pr djus ds fy, ftyk iapk;r v/;{kksa dh mifLFkfr esa xzke lHkkvksa dh cSBd vk;ksftr dj foHkkx ds vf/kdkfj;ksa }kjk ;kstuk fØ;kUo;u dh tkudkjh nh xbZA

नल कनेक्शन से वंचित परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाये गये हैं। ग्रामों में पेयजल अपव्यय को रोकने के लिए प्रत्येक नल कनेक्शन पर टोंटियां लगवाई गई। योजनाओं के सफल संचालन एवं संधारण के लिये पेयजल उपसमितियों का गठन करवाया गया। पेयजल योजना से प्राप्त आय एवं व्यय को संधारित करने के लिए पेयजल उपसमिति के अध्यक्ष एवं सचिव के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाया गया। योजना के सुचारू व वर्षभर संचालन के लिए पेयजल उपसमिति को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। पेयजल परीक्षण करने हेतु ग्राम वासियों को फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त पेयजल व स्वच्छता का वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से ग्राम में स्कूल रैली, समूह बैठक/चौपाल चर्चा सहित जागरुकता के लिए विभिन्न गतिविधियॉं सम्पादित की गईं।

24 ?kaVs is;ty iznk; ;kstukvksa ls ykHk %& 24 घंटे पेयजल प्रदाय (24x7) से ग्रामों मे खुशहाली का वातावरण निर्मित हो गया। ग्रामवासियों को पेयजल भंडारण करने की एवं पेयजल प्राप्त करने में समय की

बाध्यता जो पूर्व में थी वह इन योजनाओं से समाप्त हो गई। सभी नल कनेक्शनों पर टोंटियॉं लग जाने से पेयजल अपव्यय को रोकने में मदद मिली एवं योजनाओं से सभी ग्रामवासियों में जनसहभागिता की भावना विकसित हुई। इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य ग्राम जहां ग्रामवासियों/ग्राम पंचायत की इच्छा शक्ति के अभाव में पेयजल योजनाएं बंद/आंशिक चालू रहती हैं उन्हें ऐसे आदर्श ग्रामों से अपने ग्राम की पेयजल योजनाएं सूचारू रूप से संचालित करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे ग्राम जहां पेयजल संकट है तथा जहां नलजल योजना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है उन ग्रामों में ऐसी योजना एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में एवं जनभागीदारी की भावना को विकसित करने का कार्य करेगी।

5-2 e/;izns'k jkT; xzkeh.k is;ty dk;ZØe %&

विगत वर्षों से भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ग्रामीण पेयजल व्यवस्था हेतु सभी राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों हेतु धनराशि में कमी की गई है जिसके फलस्वरूप विभाग द्वारा किये जा रहे पेयजल कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, इस कमी की पूर्ति हेतु राज्य शासन द्वारा ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये एक नया कार्यक्रम "मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" तैयार किया गया है जिसका शत–प्रतिशत वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बसाहटों में पेयजल व्यवस्था हेतु कार्यों का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न पेयजल योजनाओं के माध्यम से बसाहटों का आच्छादन किया जायेगा ताकि ग्रीष्म में पेयजल संकट निवारण हेतु कार्य किये जा सकें। इस कार्यक्रम में समूह नलजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण भी किया जायेगा।

xzke rkjklsfou;k lkaln vkn'kZ xzke esa is;ty ;kstukvksa ds izpkj gsrq xhr ukfVdk ,oa uqDdM+ ukVd vk;ksftr dj ;kstuk dk izpkj ,oa izlkj] ftyk Hkksiky

ग्राम इटखेड़ी सड़क में मुख्यमंत्री पेयजल योजना में गीत नाटिका एवं नुक्कड़ नाटक आयोजित कर योजना का प्रचार एवं प्रसार, जिला भोपाल

5.3 मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना का क्रियान्वयन :–

प्रदेश में योजनाबद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र में नलजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा ''मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना'' के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। इस हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन ''मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम'' के अन्तर्गत नलजल योजना घटक तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से उपलब्ध कराये जायेगें।

''मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना'' में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों के चयन, योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के संबंध में निम्न नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किये गए हैं :–

1. प्रथम चरण में बड़े ग्रामों का चिन्हाकंन किया जायेगा, तथा इन ग्रामों में उपलब्ध जल स्त्रोतों की क्षमता का आंकलन किया जायेगा। जहॉं पर्याप्त क्षमता का स्त्रोत विद्यमान न हो, वहॉं स्त्रोत निर्माण की संभावना का परीक्षण कर स्त्रोत निर्माण का कार्य किया जायेगा। पर्याप्त क्षमता का स्त्रोत उपलब्ध/विकसित होने के उपरांत ही योजना के अन्य अवयवों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

2. योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चिन्हांकन हेतु निम्न मापदण्ड होंगे :–

   क) जनसंख्या का मापदण्ड :–

   वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक जनसंख्या के ग्राम।

   अथवा

   वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक जनसंख्या के अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्राम।

ख) ऐसे ग्राम जिनकी जनसंख्या अधिक है अथवा जो जलगुणवत्ता से प्रभावित है उन्हें चिन्हांकन में प्राथमिकता दी जायेगी।

ग) ऐसे ग्राम जिनकी किसी भी बसाहट में पूर्व में नलजल योजना (स्पॉट सोर्स योजना को छोड़कर) का क्रियान्वयन हुआ हो, उन्हें चिन्हांकित नहीं किया जायेगा।

घ) ऐसे ग्राम जिनकी किसी बसाहट में स्पॉट सोर्स योजना पूर्व में क्रियान्वित की गयी हो, परंतु उसमें जल वितरण प्रणाली का निर्माण नहीं किया गया हो, को चिन्हांकित किया जा सकता है।

3. ग्राम का चिन्हांकन होने के उपरांत जल स्त्रोतों की क्षमता तथा जल गुणवत्ता का आंकलन कार्यपालन यंत्री तथा भूजलविद द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

क) जहॉ विद्यमान स्त्रोतों की जल आवक क्षमता पर्याप्त एवं जल गुणवत्ता स्वीकार्य योग्य हो, वहॉ ग्राम को पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

ख) जहॉ विद्यमान स्त्रोत में जल आवक क्षमता अपर्याप्त हो अथवा जल गुणवत्ता स्वीकार्य योग्य न हो, वहॉ नये स्त्रोत निर्माण करने की संभावना ज्ञात की जायेगी। यदि ऐसे स्त्रोतों की संभावना हो, तो स्त्रोत निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

स्त्रोत निर्माण हेतु तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति विभागीय प्रक्रिया अनुसार सक्षम स्तर से प्राप्त की जायेगी, एवं इस कार्य हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत नलजल योजना घटक से राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

नवीन स्त्रोत निर्माण उपरान्त इनकी जल आवक क्षमता एवं जल गुणवत्ता का परीक्षण किया जायेगा, तथा योजना के लिये उपयुक्त पाये जाने पर ग्राम को पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

4. पात्रता सूची में सम्मिलित ग्रामों में नलजल योजना की डी.पी.आर. तैयार की जायेगी।

5. पात्रता सूची में सम्मिलित ग्रामों में नलजल योजना के क्रियान्वयन के संबंध में ग्राम पंचायत में संकल्प पारित किया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें योजना के संचालन व संधारण करने, न्यूनतम 75 प्रतिशत परिवारों द्वारा घरेलू नल कनेक्शन लेने तथा निर्धारित मासिक जलकर की राशि देने की लिखित सहमति दी जानी होगी।

6. डी.पी.आर. परीक्षण उपरांत योजना क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त पाये जाने पर ग्राम का चयन मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना के अन्तर्गत किया जायेगा। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाकर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जायेगी।

7. वर्ष 2017–18 के लिये प्रत्येक विकासखंड के लिये न्यूनतम 4 योजनायें चयन किये जाने का लक्ष्य है। जिन विकासखंडों में पात्र ग्रामों की जनसंख्या कम हो, वहॉ 4 से अधिक योजनाओं का चयन किया जा सकता है।

8. मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना के अन्तर्गत जनभागीदारी अंशदान की राशि नहीं ली जाएगी, परंतु लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित जलकर का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। जिन ग्रामों से जनभागीदारी अंशदान की राशि पूर्व में विभाग को प्राप्त हुई है, उपरोक्त मापदण्ड की पूर्ति करने पर चिन्हांकन में प्राथमिकता दी जा सकेगी।

9. योजना के क्रियान्वयन के संबंध में तकनीकी मापदण्डों का निर्धारण किये जाने हेतु प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आवश्यकता अनुसार निर्देश जारी कर सकेगें।

5-4 jkT; ty lgk;rk lxBu%&

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम'' के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2009 से प्रभावी तथा माह अगस्त 2013 में संशोधित मार्गदर्शिका में दिए गये निर्देशानुसार प्रदेश में ''राज्य पेयजल मिशन'' के अंतर्गत ''जल सहायता संगठन'' कार्यरत है। इस संगठन के अंतर्गत सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः मानव संसाधन विकास, सूचना शिक्षा एवं संचार, जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी, सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास, अनुसंधान एवं विकास जैसी गतिविधियों का संचालन किया जाता है। जल सहायता संगठन के अंतर्गत संविदा आधार पर स्वीकृत एवं भरे हुये पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

Ø-	in dk uke	Lohd`r in	Lohd`r ink d: fo#) Hkj: x;: in
v- jkT; Lrj			
1.	संचालक, जल सहायता संगठन	1 पद	1 पद
2.	राज्य स्तरीय सला हकार (मानव संसाधन विकास एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार)	1 पद	–
3.	राज्य स्तरीय सलाहकार (भूजलविद्)	1 पद	1 पद
4.	राज्य स्तरीय सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्याकंन)	1 पद	–
5.	राज्य स्तरीय सलाहकार (जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी)	1 पद	1 पद
6.	लेखापाल	1 पद	–
7.	डाटा इंट्री आपरेटर	1 पद	1 पद
c- ftyk Lrj			
1.	जिला स्तरीय सलाहकार (मानव संसाधन विकास)	50 पद	33 पद
2.	जिला स्तरीय सलाहकार (सूचना, शिक्षा एवं संचार)	50 पद	39 पद
3.	जिला स्तरीय सलाहकार (भूजलविद्)	50 पद	19 पद
4.	जिला स्तरीय सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्याकंन)	50 पद	15 पद
l- fodkl[k.M Lrj			
1.	विकासखण्ड स्तरीय संयोजक (तकनीकी)	313 पद	238 पद
	dy in	520	348 in

विभाग के भोपाल स्थित गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड को अनुसंधान एवं विकास इकाई के रूप में मान्य किया गया है। राज्य तकनीकी एजेंसीज (State Technical Agencies) का चयन एवं विभागीय योजनाओं के परीक्षण, स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु समन्वय भी इस संगठन द्वारा किया जाता है। राज्य तकनीकी एजेंसीज (एस.टी.ए.) के रूप में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एम.ए.एन.आई.टी.), भोपाल, म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मैप कास्ट), भोपाल एवं श्री गोविन्दराम सेक्सेरिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एस.जी.एस.आई.टी.एस.), इंदौर को चयनित किया गया है।

जल सहायता संगठन के द्वारा मुख्य रूप से संपादित की जाने वाली सहायक गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है :–

1- ekuo lalk/ku fodkl xfrfof/k;k¡% मानव संसाधन विकास के अंतर्गत, विभाग के कार्यालयीन एवं अन्य मैदानी अमले का क्षमतावर्धन, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय तथा पंचायती राज्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों की क्षमतावर्धन एवं उन्मुखीकरण कर उन्हें विभागीय गतिविधियों से जोड़ा जाता है।

विभागीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार कर तद्नुसार विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का प्रशिक्षण राज्य स्तर, परिक्षेत्र स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर तक किया जाता है।

ty lgk;rk laxBu ds }kjk lapkfyr lgk;d xfrfof/k;ksa ds vUrxZr ftyk Lrjh; izf'k{k.k lg dk;Z'kkyk dk vk;kstu&ftyk eUnlkSj

ty lgk;rk lxBu d }kjk lpkfyr lgk;d xfrfof/k;k d vUrxr fodkl[k.M Lrjh; izf'k{k.k lg dk;Z'kkyk dk vk;kstu&fodkl[k.M lhrkeÅ] ftyk eUnlkSj

लाभांवित समुदाय द्वारा योजनाऐं संचालित एवं संधारित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम हेतु ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20 जनवरी 2015 में प्रकाशित होने से अब ये समितियाँ पेयजल उप समिति होगीं। इन समितियों के सदस्यों को पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण हेतु तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कैस्केड मोड में प्रशिक्षित किया गया है। इस वर्ष 31.12.2017 तक संपादित प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार हैः–

Ø-	if'k{k.k dk uke	if'k{k.kkfFk;k dh l[;k
1.	जिला स्तरीय कंसलटेंट का प्रशिक्षण	112
2.	विकासखंड स्तरीय समन्वयकों (तकनीकी) का प्रशिक्षण	252
3.	विभागीय अभियंताओं / कर्मचारियों तथा अन्य विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण	12049
4.	पेयजल उप समितियों के सदस्यों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण	27552
5.	फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु मैदानी अमला / पंचायती राज सदस्यों का प्रशिक्षण	9390

2- lpuk f'k{kk ,o lpkj xfrfof/k;k%&

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के प्रचार–प्रसार एवं शुद्ध पेयजल के उपयोग से लाभों की जानकारी को प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां संपादित की जाती हैं। इन गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की एक समिति गठित की गई है। प्रचार–प्रसार गतिविधियों के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक, चलचित्र प्रसारण, जागरूकता रथ का भ्रमण, रेडियो/केबल टी. व्ही. का प्रसारण, ग्रामीण सहभागिता आंकलन (पी.आर.ए.), होर्डिंग्स, नारा लेखन, ग्राम सभा, वार्ड सभा इत्यादि कार्य किये जाते हैं।

इस वर्ष प्रदेश के सभी जिलों में सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियाँ संपादित की गई हैं :–

Ø-	xfrfof/k;k	l[;k
1	जिला स्तरीय कार्यशाला	94
2	विकासखंड स्तरीय कार्यशाला	194
3	मेला/प्रदर्शनी आयोजन	491
4	आई.ई.सी.वेन/रथ	385
5	होर्डिंग/बैनर/पोस्टर्स	24256
6	दीवार लेखन	16708
7	रेडियो/केबिल प्रसारण व एस.एम.एस.	4
8	ग्राम सभा/ग्रुप मीटिंग	32116
9	स्कूल रैली/वाद–विवाद एवं निबंध लेखन प्रतियोगिताएं	17854
10	चलचित्र प्रसारण	2108
11	आई.ई.सी./गृह भेंट	35586
12	नुक्कड़ नाटक/गायन एवं नाट्य कार्यक्रम	1094
13	प्रचार–प्रसार पत्र (पैम्फलेट्स) वितरण	2035000
14	पी.आर.ए.	2179
15	उद्घोषणा (पी.ए.सिस्टम द्वारा)	93781
16	ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (V.W.S.C.) का गठन	5014
17	घरेलू नल कनेक्शनों की संख्या	181064

i; ty dk;Øe dh fofHkUu xfrfof/k;k d ipkj&ilkj ,o 'k) i; ty d mi;kx l ykHkk dh tkudkjh dk >kdh d ek/;e l inf'kr fd;k x;k] ftyk vkxj

i;ty dk;Øe ds izpkj&izlkj ,oa 'kq) i;ty ds mi;ksx gsrq Ldwy ds Nk=&Nk=kvksa dh Ldwy jSyh vk;ksftr dj tkx#d fd;k tk jgk g] ftyk vkxj

i;ty dk;Øe ds izpkj&izlkj ,oa 'kq) i;ty ds mi;ksx gsrq Ldwy ds Nk=&Nk=kvksa dh Ldwy jSyh vk;ksftr dj tkx#d fd;k tk jgk g] ftyk ujflagiqj

jk"Vªh; xkeh.k i;ty dk;dze ds vUrxr uyty ;ktuk ds lpkyu@l/kkj.k grq lgk;d xfrfof/k;k vkb-b-lh- ¼lpuk f'k{kk lpkj½ xfrfof/k e leg cBd dk vk;ktu fd;k tk jgk g] ftyk 'kktkij

प्रचार–प्रसार गतिविधियों को आवश्यकतानुसार गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के माध्यम से भी कराया जाता है। प्रचार–प्रसार गतिविधियों में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर राज्य स्तर से गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) को सूचीबद्ध (इम्पेनलमेंट) किया गया है।

3- vu|l/kku ,o fodkl xfrfof/k;k %&

ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सहायक गतिविधियों के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का प्रावधान किया गया है। म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (मैपकास्ट) भोपाल एवं बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंस (BITS), राँची के सहयोग से हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजीकल मैप्स (एच.जी.एम.नक्शों) को अद्यतन किया जा रहा है, जिसमें वाटर क्वालिटी लेयर को भी अंकित किया जा रहा है।

5-5- ty x|.koRrk vuJo.k ,o fuxjkuh dk;Øe %&

ty x|.koRrk vuJo.k ,o fuxjkuh dk;Øe ds vrxr fd;s tk jgs dk; %&

पेयजल की गुणवत्ता के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन प्रतिशत राशि जल गुणवत्ता अनुश्रवण व निगरानी कार्यक्रम के लिये निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में निम्नानुसार महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये गये :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा प्रदाय किये जा रहे जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल परीक्षण प्रयोगशालाऐं स्थापित हैं। प्रदेश में 51 जिला स्तरीय तथा 104 उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालायें एवं राज्य मुख्यालय पर राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित हैं, जिनमें पेयजल स्त्रोतों के नियमित जल परीक्षण किये जाते हैं।
- जिला एवं उपखंड स्तरीय प्रयोगशालाओं में प्रतिमाह 300 जल नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित है।
- भारत सरकार द्वारा जल की पीने के लिये उपयुक्तता के ऑकलन हेतु 14 घटकों का परीक्षण किया जाना निर्धारित किया गया है। ये घटक हैं –1. मटमैलापन, 2. पी.एच., 3. रंग 4. हार्डनैस 5. क्लोराइड, 6. क्षारीयता, 7. टी.डी.एस, 8. फ्लोराइड, 9. आयरन, 10. नाईट्रेट, 11. सल्फेट, 12. मैंगनीज, 13. कॉलीफार्म 14. ई–कोलाई परीक्षण।
- इन प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2017–18 में दिसम्बर 2017 तक 345958 जल नमूनों का परीक्षण किया गया है।
- फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से वर्ष 2017–18 में दिसम्बर 2017 तक लगभग 52147 पानी के नमूनों की जॉच मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई ।
- राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला में जिलों से प्राप्त जल नमूनों का प्रति परीक्षण किया जाता है, साथ ही यहाँ सीवेज, जल उपचार में उपयोग में लाये जाने वाले रसायनों की गुणवत्ता एवं पेयजल के उपचार संबंधी परीक्षण भी किये जाते हैं। यहां पर विभागीय रसायनज्ञों एवं प्रयोगशाला सहायकों के लिये जल परीक्षण संबंधी सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

i;ty L=krks dk LoPNrk fujh{k.k ,o ty ueuk dk ,df=r dj i;kx'kkykvk e
i;ty ijh{k.k fd;k tkrk gA

- वर्ष 2017–18 में 17396 पेयजल स्त्रोतों का स्वच्छता निरीक्षण किया गया, जिससे पेयजल स्त्रोतों के उचित रखरखाव में सहायता मिली।
- राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल द्वारा द्वितीय चरण में एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकरण हेतु शेष प्रस्तावित पॉच जिलों – बैतूल, धार, इन्दौर, छतरपुर एवं नरसिंहपुर की प्रयोगशालाओं के एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यों की प्रगति की समीक्षा व मूल्यांकन किया गया है।
- राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल एवं जिला प्रयोगशाला रतलाम को एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकरण प्राप्त हो चुका है। उपरोक्त शेष पॉच जिला प्रयोगशालाओं के एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकरण का कार्य प्रगति पर है।

6- Hkkx & N%

6 foHkkxh; i:dk'ku l: lEcfU/kr tkudkjh %&

विभाग द्वारा पेयजल स्त्रोतों के समीप साफ–सफाई, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से सम्बन्धित सामग्री का प्रकाशन समय–समय पर किया जाता है, जिसे विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शित किया जाता है। जिला स्तर पर भी ऐसी कार्यवाही की जाती है।

7- Hkkx & lkr

7-1 lkjka'k %&

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु केंद्र शासन के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013–14 से संशोधित मार्गदर्शिका लागू की गई है जिसमें प्रदत्त अधिकारों के आधार पर राज्य शासन द्वारा सभी ग्रामों/बसाहटों में प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से 500 मीटर की परिधि में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामों अथवा बसाहटों में अधिकतम 30 मीटर की ऊँचाई या निचाई पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था हेतु सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध कराया जाना तय किया गया है।

ऐसी बसाहटें जिनमें नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से जलप्रदाय किया जाना है, न्यूनतम मात्रा 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रायः सभी योजनाएं भूगर्भीय जल स्त्रोतों पर आधारित हैं किंतु भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में भूगर्भीय जल की उपलब्धता में कठिनाई हो रही है, विशेष रूप से ग्रीष्मकाल में अनेकों क्षेत्रों में नलकूपों में जल स्तर नीचे जाने के कारण पानी की कमी की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए पेयजल स्त्रोतों के पुनर्भरण संबंधी कार्य भी विभाग द्वारा किये जा रहे हैं। इसी प्रकार, कठिनाई वाले क्षेत्रों में, जहां भूगर्भीय जल की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, उन क्षेत्रों में व्यवहार्यता के आधार पर, समूह जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन भी विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है जो सतही स्त्रोतों पर आधारित होंगी तथा जल शुद्धिकरण के उपरांत जल वितरण प्रणाली के माध्यम से ऐसी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।

विभाग द्वारा गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों की सभी योजनाएं तैयार कर ली गई हैं एवं इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है तथा प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को करने का प्रयास किया जा रहा है।

विभाग द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर स्थानीय व्यक्तियों को पेयजल गुणवत्ता संबंधी प्रशिक्षण भी दिये गये हैं कार्यक्रम के अंतर्गत फील्ड टेस्ट किट्स् प्रत्येक पंचायत को उपलब्ध कराए गये हैं एवं पंचायत स्तर पर ही पेयजल के सभी स्त्रोतों की गुणवत्ता के परीक्षण की व्यवस्था की गई है। सभी विभागीय उपखंडों में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं जिससे पेयजल गुणवत्ता परीक्षण कार्य को और प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

इस प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सतत् प्रयत्नशील है।

मध्यप्रदेश–जल

e/;izns'k ty fuxe e;kZfnr

¼e/;izns'k 'kklu dk miØe½

okf"kZd iz'kkldh; izfrosnu
2017&18

1- Hkkx & ,d

1-1 iLrkouk

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश क्रमांक– एफ16–149/ 2012/2/34 भोपाल दिनांक 06 जून 2012 द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम का गठन किया गया, जिसका पंजीयन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत 9 जुलाई, 2012 को ''मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित'' के नाम से किया गया। मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित की अंशपूंजी रु. 100.00 करोड़ है।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा सतही स्त्रोत आधारित समूह जल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से परिवार स्तर पर नल कनेक्शन द्वारा सुरक्षित एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्धता संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

1-2 foHkkxh; lajpuk

lapkyd e.My %&

1.	माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन	–	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	–	उपाध्यक्ष
3.	माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण	–	उपाध्यक्ष
4.	माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	–	उपाध्यक्ष
5.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	–	उपाध्यक्ष
6.	भारसाधक सचिव, वित्त विभाग	–	संचालक
7.	भारसाधक सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	–	संचालक
8.	भारसाधक सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	–	संचालक
9.	भारसाधक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	–	संचालक
10.	भारसाधक सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	–	संचालक
11.	भारसाधक सचिव, जल संसाधन विभाग	–	संचालक
12.	भारसाधक सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग	–	संचालक
13.	प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	–	संचालक

1-3 e/; izn'k ty fuxe e;kfnr dk;kZy;

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल में स्थापित है। विभागाध्यक्ष के रूप में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित) प्रबंध संचालक के पद पर कार्यरत हैं।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के अतंर्गत मैदानी कार्यालय के रूप में परियोजना क्रियान्वयन इकाईयॉ क्रमशः भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं सागर में स्थापित की गई हैं। इनके अतिरिक्त शहडोल, पन्ना एवं सिवनी में नवीन परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों की स्थापना की जा रही है।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के कार्यालय एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों हेतु सहायक यंत्री स्तर तक के स्वीकृत पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

Ø-	inuke	Loh—r l[;k
1	प्रबंध संचालक	1
2	परियोजना निदेशक (प्रमुख अभियन्ता)	1
3	मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य अभियंता)	2
4	महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक (अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री)	17
5	मुख्य वित्तीय अधिकारी (संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा)	1
6	महाप्रबंधक (जन सहभागिता)	1
7	प्रबंधक (उप संचालक, कोष एवं लेखा)	12
8	प्रबंधक (सहायक यंत्री)	28
9	कम्पनी सेक्रेटरी	1
10	चार्टर्ड एकाउण्टेंट	1

1-4 fuxe d mnn' ; ,o dk;l%&

- राज्य के ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक स्थान पर परिवार स्तर पर नल कनेक्शन द्वारा उचित वितरण व्यवस्था के साथ वर्ष भर उपलब्ध कराना।
- शहरी/नगरीय/ग्रामों की नलजल योजनाओं की परिकल्पना, रूपांकन, प्राक्कलन, निविदा प्रपत्र निर्माण, निविदाएं आमंत्रण, कार्यादेश, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण।
- भू–गर्भीय तथा सतही जल संसाधनों का संयुक्त (Conjunctive) उपयोग, सुनिश्चित करना।
- राज्य की ग्रामीण नलजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पेयजल समितियों के गठन, उनमें जल के प्रति सामाजिक तथा पर्यावरणीय चेतना विकसित करने में सहयोग प्रदाय करना।
- नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाले जल मल के निकास एवं उपचार की योजनाओं का आकल्पन एवं क्रियान्वयन करना।
- उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बाहय सहायता एवं ऋण सहित अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, जिसमें ऋण भी शामिल होगा, की व्यवस्था करना।
- पेयजल व्यवस्था से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध की व्यवस्था करना एवं इस हेतु राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थाओं से समन्वय करना।
- पेयजल प्रदाय योजनाओं एवं मलजल निकास योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित नीतिगत निर्णय हेतु राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना।

2- Hkkx & nks

2-1 foHkkxh; ctV o"kZ 2017&18

jkf'k dh miyC/krk

- कम्पनी की अंशपूंजी राशि रू. 100.00 करोड़ है।
- भारत सरकार के पत्र क्रमांक क्यू–11050/20/2013–एग्री, दिनांक 20.09.2013 द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम के लिये बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज फेस–2 के अंतर्गत समूह पेयजल प्रदाय योजनाओं हेतु रू. 252.47 करोड़ की राशि अनुमोदित की गई है। वर्ष 2017–18 में राशि रू. 68.92 करोड़ प्राप्त हुई है।

2-2 ;ktukvk gr _.k

1- xkeh.k v/kkl jpuk fodkl fuf/k & (RIDF-XIX) अंतर्गत 19 समूह जल प्रदाय योजनाए लागत रु. 1065.15 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रू. 905.36 करोड़ एवं राज्यांश रू. 159.79 करोड़ है। उक्त स्वीकृत 19 योजनाओं में से 02 योजनाएं क्रमशः कुण्डम एवं मेंहदवानी को नाबार्ड ने पत्र दिनांक 29.03.2017 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

2- xkeh.k v/kkl jpuk fodkl fuf/k & (RIDF-XX) अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 06 समूह जल प्रदाय योजनाओं लागत रू. 476.92 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रू. 394.14 करोड़ एवं राज्यांश राशि रू. 69.55 करोड़ है। उक्त स्वीकृत 06 योजनाओं में से 02 योजनाएं धसान एवं इंदवार को नाबार्ड ने पत्र दिनांक 12.09.2017 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

3- xkeh.k v/kkl jpuk fodkl fuf/k & (RIDF-XXII) अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 04 समूह जल प्रदाय योजनाओं लागत रू. 352.15 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रू. 292.64 करोड़ एवं राज्यांश राशि रू. 59.51 करोड़ है।

4- foRrh; o"k 2017&18 e xkeh.k v/kkl jpuk fodkl fuf/k & (RIDF-XXIII) अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 06 समूह जल प्रदाय योजनाओं लागत रू. 1211.05 करोड़ के लिये ऋण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव नाबार्ड को प्रेषित किया गया है।

5. वर्ष 2017–18 में नाबार्ड अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन पर माह दिसम्बर, 2017 तक राशि रू. 120.00 करोड़ का व्यय हुआ।

2-3 [kfu t {k= fodkl fuf/k ¼&

वर्ष 2017–18 में खनिज क्षेत्र विकास निधि अन्तर्गत 06 समूह जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर माह दिसम्बर 2017 तक राशि रुपये 120.00 करोड़ का व्यय हुआ है।

3- Hkkx & rhu

3-0 leg ty ink; ;ktuk,

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा सतही स्त्रोतों पर आधारित समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रस्तावित योजनाओं का चयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया गया है।

3.1 नाबार्ड द्वारा RIDF अंतर्गत स्वीकृत समूह जल प्रदाय योजनाओं में से 20 योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।

3.2 बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज फेस–2 के अंतर्गत 03 समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।

3.3 खनिज क्षेत्र विकास निधि अंतर्गत 06 समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।

3.4 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/राज्य मद अंतर्गत 03 समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।

3.5 उपरोक्तानुसार 32 समूह जल प्रदाय योजनाएं प्रगतिरत है जिनमें से 07 योजनाओं के अधिकांश कार्य पूर्ण किये जाकर 408 ग्रामों में 11 लाख 76 हजार ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जा रहा है।

3.6 बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज के द्वितीय चरण अंतर्गत 03 समूह जल प्रदाय योजनाऐं निविदा लागत रु. 206.86 करोड़ का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 108

ग्रामों की 2 लाख 28 हजार से अधिक जनसंख्या घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्राप्त कर सकेगी। उक्त योजनाऐं मार्च 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

3.7 समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बाह्रय वित्तीय सहायतित परियोजनाओं अन्तर्गत जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (JICA) से वित्तीय सहायता का प्रस्ताव राशि रु. 3000.00 करोड़ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया।

3.8 समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बाह्रय वित्तीय सहायतित परियोजनाओं अन्तर्गत BRICS, New Development Bank (NDB) से 09 समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऋण प्रस्ताव राशि रू. 4512.00 करोड़ आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा BRICS, New Development Bank (NDB) को प्रेषित किया गया। ऋण एवं योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

4- Hkkx & pkj

4-1 izpkj&izlkj xfrfof/k;k¡%

समूह जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली ग्रामों के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों में समूह जल प्रदाय योजनाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता उत्पन्न करने हेतु ग्रामों में प्रचार–प्रसार एवं क्षमतावर्धन गतिविधियों का क्रियान्वयन जल सहायता संगठन के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है।

क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के ग्रामों में ''मध्यप्रदेश ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना के संचालन एवं संधारण नियम–2015'' के अनुसार पेयजल उपसमितियों का गठन किया जा रहा है।

ykd LokLF; ;kf=dh foHkkx] e/; in'k